# [ एक ]

## प्रस्तावना

1.1 कम्युनिस्ट पार्टी, भारत के आवाम की प्रगतिशील, साम्राज्यवादविरोधी और क्रांतिकारी परंपराओं की वारिस है। रूस में हुई अक्टूबर की समाजवादी क्रांति से प्रेरित, साम्राज्यवादविरोधी दृढ़ संकल्पित लड़ाकों के एक छोटे से समूह द्वारा 1920 में गठन के बाद, पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता और बुनियादी सामाजिक बदलाव का लक्ष्य अपने सामने रखा था। पार्टी ने भारत में वर्गीय शोषण और सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त, एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए काम करने का प्रण किया था।

1.2 सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के लक्ष्य के प्रति सच्चा रहते हुए, साम्राज्यवादी निजाम के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का और दुनिया भर में जनवाद और समाजवाद के लिए संघर्षों का, जोकि बीसवीं सदी की मुख्य पहचान रहे, पार्टी ने लगातार समर्थन किया। पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हासिल करने, समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और अंतिम लक्ष्य के रूप में कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़ते जाने के लिए, मार्क्सवाद-लेनिनवाद को कार्रवाई के पथ-निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपनाया। कम्युनिस्टों ने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया था।

1.3 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के साथ ही, कम्युनिस्टों ने, जमींदारी के खात्मे, सामंती प्रभुत्व के अंत और जाति उत्पीड़न की समाप्ति जैसे अहम सवालों को समाहित करने वाले, सामाजिक-आर्थिक बदलाव के एक निश्चित कार्यक्रम के जरिये, **स्वराज** के नारे में मूलगामी सार भरने की जरूरत पर जोर भी दिया।

1.4 स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ-साथ, कम्युनिस्टों ने शुरू से ही मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में, किसानों को किसान सभा में, छात्रों को उनके संगठनों



में और अन्य तबकों को उनके अपने-अपने जनसंगठनों में संगठित करने के काम में अपनी ऊर्जा लगाई। इन्हीं प्रयासों के चलते अखिल भारतीय किसान सभा और ऑल इंडिया स्टूडैंट्स फैडरेशन जैसे राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई तथा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजबूत हुई। प्रगतिशील लेखक संघ और इंडियन पीपुल्स थियेटर एसोसियेशन जैसे प्रगतिशील, सांस्कृतिक और साहित्यक संगठनों की स्थापना के लिए भी कम्युनिस्टों ने पहल की।

1.5 ब्रिटिश शासक, भारत से साम्यवाद का सफाया कर देने पर आमादा थे। उन्होंने कम्युनिस्टों के नवजात ग्रुपों पर क्रूरता से दमनचक्र चलाया और क्रांतिकारी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए कम्युनिस्ट साहित्य पर रोक लगाई। उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन के युवा नेतृत्व के खिलाफ एक के बाद एक पेशावर (1922), कानपुर (1924) और मेरठ (1929) जैसे षड्यंत्र केस चलाये। सन् 1920 में अपने गठन के साथ ही पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसे दो दशकों से भी ज्यादा अवधि तक गैरकानूनी हालात में काम करना पड़ा। भीषण दमन के बावजूद, पार्टी पूर्ण स्वतंत्रता और बुनियादी सामाजिक बदलाव के लिए अवाम को लामबंद करने में लगातार आगे से आगे बढ़ती गयी।

1.6 कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू और सतत साम्राज्यवादविरोधी रुख के कारण अनेक क्रांतिकारी धाराएं और लड़ाके, पार्टी में शामिल होने के लिए आकर्षित हुए। इन्हीं में थे पंजाब के गदर वीर, भगत सिंह के साथी, बंगाल के क्रांतिकारी, बम्बई व मद्रास प्रेसीडेंसी के जुझारू मजदूर वर्गीय लड़ाके और केरल, आंध्र प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों से मूलगामी साम्राज्यवादविरोधी कांग्रेसजन। इस तरह, देश भर से बेहतरीन योद्धाओं के शरीक होने से पार्टी समृद्ध हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन तथा बाद में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी, खुद को सर्वहारा की एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में खड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करती रही।

1.7 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में, भारतीय आवाम के बीच एक शक्तिशाली साम्राज्यवादविरोधी तथा सामंतवादविरोधी उभार आया। कम्युनिस्ट पार्टी इसमें आगे-आगे थी और देश के अनेक हिस्सों में इस उभार की अगुआई कर रही थी। तेभागा, पुन्नप्रा वायलार, उत्तरी मालाबार, वर्ली आदिवासियों, त्रिपुरा के आदिवासियों और सबसे बढ़-चढ़ कर तेलंगाना के किसानों की ऐतिहासिक हथियारबंद लड़ाई, ऐसे ही महत्वपूर्ण संघर्ष थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेक देसी रियासतों में

उत्तरदायी सरकार के लिए जनता के आंदोलनों में भी नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी। पार्टी ने पोंडिचेरी तथा गोवा के क्रमश: फ्रांस व पुर्तगाल नियंत्रित क्षेत्रों में भी मुक्ति के संघर्षों को संगठित करने तथा उन्हें समर्थन देने में एक सक्रिय भूमिका अदा की थी। मजदूरों, किसानों, छात्रों और आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई की मांग के संघर्षों की यह लहर, सन 1946 के नौसैनिक विद्रोह में, एक नए शिखर पर जा पहुंची। फासीवाद की शिकस्त और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के बढ़ते ज्वार की अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में, इस जन-उभार के सामने, ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा प्रमुख पूंजीवादी पार्टियों – कांग्रेस और मुस्लिम लीग – के नेताओं ने, समझौता कर लिया। परिणामत: देश का बंटवारा हुआ और पूंजीपति-भूस्वामी वर्गों के नेतृत्व में, स्वतंत्र देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान सामने आए। इस तथ्य ने कि राष्ट्रीय आंदोलन पूंजीवादी नेतृत्व में ही चला था, इस करार में मदद की। इस तरह, मुख्यत: विदेशी साम्राज्यवादी शासन को निशाना बनाने वाले, आम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का चरण समाप्त हो गया।

1.8 देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी, कम्युनिस्ट पार्टी को दमन का शिकार बनाया जाता रहा। सन 1948 और 1952 के बीच, विशेष रूप से तेलंगाना में कांग्रेसी शासकों के तीखे हमले हुए। बार-बार दमन की मुहिम चली, खासतौर से पश्चिम बंगाल में तथा बाद में त्रिपुरा में अर्द्धफासिस्ट आतंक के दौर और केरल व देश के अन्य भागों में पार्टी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमलों के दौर आए। यह सब भी पार्टी को, क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के काम से रोक नहीं सका। जब फूटपरस्त पृथकतावादी आंदोलनों के रूप में, राष्ट्रीय एकता को चुनौती पैदा हुई, तब भी पार्टी जनता की एकता की हिफाजत के संघर्ष की अगली कतारों में डटी रही। पंजाब, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल और कश्मीर में, फूटपरस्त व पृथकतावादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष में, पार्टी के सैकड़ों बहादुर कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं।

1.9 इस तरह, अपनी शुरूआत से ही कम्युनिस्ट आंदोलन ने, भारतीय राजनीति में प्रगतिशील भूमिका अदा की है। अपने जनाधार, लोकप्रियता और पूंजीवादी भूस्वामी हुकूमत के मुकाबले की वैकल्पिक नीतियों के बल पर कम्युनिस्ट आंदोलन, देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। सन 1957 में केरल में बनी पहली कम्युनिस्ट सरकार और बाद में पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में लगातार बनती रहीं, सी पी आई (एम) तथा वामपंथी नेतृत्व



वाली सरकारों ने, जनहितकारी नीतियों पर अमल की कोशिश कर रास्ता दिखाया है। इन सरकारों ने मौजूदा ढांचे के भीतर भूमि सुधारों को लागू किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया तथा पंचायती राज प्रणाली में नये प्राण फूंके, मेहनतकश जनता के लिए जनतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित किए और देश में वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्षशील जनतांत्रिक शक्तियों को मजबूत किया। कठिन संघर्षों के बीच, पार्टी ने महती उपलब्धियां हासिल की हैं। अपनी सफलताओं और असफलताओं के आत्मालोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रतिबद्ध, पार्टी अपनी गलतियों से सीखने की और अपने समाज की ठोस परिस्थितियों में, मार्क्सवाद-लेनिनवाद को लागू करने की अपनी सामर्थ्य में बढ़ोतरी की लगातार कोशिशें करती है।

1.10 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की स्थापना संशोधनवाद से लम्बे संघर्ष के बाद हुई। सन 1964 में उसने पार्टी कार्यक्रम स्वीकृत किया और आगे चलकर, उसी समझ पर आधारित रणनीति व कार्यनीति की, संशोधनवाद व जड़सूत्रवाद दोनों से रक्षा की। बीसवीं सदी के आखिरी दशक में, सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों को और विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को, बड़े धक्के का सामना करना पड़ा। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आंदोलन के अनुभवों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया। आजादी के बाद गुजरी आधी सदी के दौरान हमारे देश में महत्वपूर्ण बदलाव और घटनाक्रम सामने आए हैं। पार्टी कार्यक्रम को अद्यतन बनाने के लिए सी पी आई (एम) ने, सन 1964 के बाद के इन घटनाक्रमों और अनुभवों की समीक्षा की है।

1.11 सी पी आई (एम) भारतीय जनता के सामने वह रणनीतिक लक्ष्य प्रस्तुत करती है जो, क्रांतिकारी आंदोलन के वर्तमान चरण में, क्रांतिकारी शक्तियों द्वारा हासिल किया जाना है। पार्टी ऐसा कार्यक्रम निर्धारित करती है, जो समाजवादी समाज के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में, जनता के जनवाद को हासिल करने के लिए शासक वर्गों के खिलाफ अपने संघर्ष में मजदूरों, किसानों, मेहनतकश जनता के सभी तबकों और प्रगतिशील, जनवादी शक्तियों का मार्ग दर्शन करेगा।

# [ दो ]

# आज की दुनिया में समाजवाद

2.1 बीसवीं सदी में दुनिया में जबर्दस्त बदलाव हुए। यह साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की सदी रही। यह सदी सन् 1917 की समाजवादी अक्टूबर क्रांति से शुरू हुई महान क्रांतिकारी घटनाओं की गवाह बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवाद पर हासिल हुई विजय, जिसमें सोवियत संघ ने निर्णायक भूमिका अदा की, एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऐतिहासिक चीनी क्रांति, वियतनाम, कोरिया और क्यूबा में क्रांतिकारी ताकतों की कामयाबी तथा पूर्वी योरप में समाजवादी राज्यों का बनना, साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच हुई जबर्दस्त मुठभेड़ के नतीजे थे। यह, उन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की भी सदी थी जिनकी परिणति उपनिवेशों की राजनीतिक आजादी में हुई। इन विजयों ने, विश्व इतिहास में नए युग की शुरूआत की, जैसाकि मार्क्सवादी- लेनिनवादी सिद्धांतों ने इंगित किया था। इस सदी की क्रांतिकारी घटनाओं और विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास ने, मानवता के सामने प्रगति की इस कदर विराट संभावनायें खोल दीं, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

2.2 समाजवादी व्यवस्था अपनाने वाले देशों ने एक नया रास्ता आलोकित किया। सोवियत संघ की रचना से मानवीय इतिहास में पहली बार, मेहनतकश जनता, वर्गीय शोषण से मुक्त समाज में जी सकी। तेजी के साथ औद्योगीकरण, सामंती अवशेषों के सफाये तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक क्षेत्रों में चौतरफा प्रगति ने, जनता के व्यापक तबकों को नया जीवन दिया और मेहनतकश आवाम का सशक्तीकरण किया। गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन, बेरोजगारी का खात्मा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत ताना-बाना और विज्ञान व तकनीकी में जबर्दस्त विकास, ये समाजवादी देशों की नई राह दिखाने वाली उपलब्धियां थीं। यह जबर्दस्त प्रगति, उन समाजों में दर्ज की गई, जहां तब तक पूंजीवाद का कोई खास विकास नहीं हुआ था और जो तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए थे। समाजवाद का निर्माण, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से उबरने और साम्राज्यवाद के हमले, भीतरघात तथा धमकियों का मुकाबला करने की कठिन



परिस्थितियों में करना पड़ रहा था। सोवियत संघ में हासिल की गई उपलब्धियों का पूंजीवादी मुल्कों पर भी प्रभाव पड़ा। शासक वर्ग कल्याणकारी राज्य की धारणा के तहत, अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान करने व उन्हें विस्तृत करने के लिए मजबूर हुए।

2.3 लेकिन, समाजवादी निर्माण के अनदेखे रास्ते पर बढ़ते हुए, सोवियत संघ व पूर्वी योरप के अन्य समाजवादी देशों ने गंभीर गलतियां कीं। समाजवाद के निर्माण की दीर्घावधिक प्रकृति की गलत समझ से; पार्टी और राज्य की भूमिका के बावत गलत धारणाओं से; अर्थव्यवस्था व प्रबंधन में सामयिक बदलाव लाने में असफलता से; पार्टी, राज्य तथा समाज में समाजवादी जनतंत्र को गहरा बनाने में असफलता से; नौकरशाही के फलने-फूलने और विचारधारात्मक चेतना में ह्रास से, ये गलतियां पैदा हुईं। इनसे समाजवाद में भीतरघात करने के साम्राज्यवाद के लगातार जारी प्रयासों में मदद मिली। ये विकृतियां, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की वैधता को नकारती नहीं हैं बल्कि वे तो क्रांतिकारी सिद्धांत और व्यवहार से भटकावों को ही दर्शाती हैं। सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों के विघटन और पूर्वी योरप में लगे धक्के से एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। बीसवीं सदी के आखिर में, समाजवादी शक्तियों को एक बार फिर आक्रामक सम्राज्यवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा है। सी पी आई (एम) को भरोसा है कि इन धक्कों के बावजूद, कम्युनिस्ट आंदोलन और क्रांतिकारी ताकतें अपनी गलतियों से सीखेंगी, फिर से इकट्ठी होंगी तथा साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमलों का मुकाबला करने की चुनौती का सामना करेंगी।

2.4 इन उतार-चढ़ावों, सफलताओं और असफलताओं के बावजूद, इस सदी की घटनाएं खासतौर पर सन 1917 के बाद की घटनाएं, मानवता की प्रगति में जनसंघर्षों और समाजवाद के जबर्दस्त प्रभाव को दर्शाती हैं। इन क्रांतिकारी रूपांतरणों से इतिहास ने एक नई छलांग लगाई है और आधुनिक सभ्यता पर इनकी अमिट छाप पड़ी है। सामाजिक मुक्ति तथा समाजवादी रूपांतरण की प्रक्रिया, जटिल और दीर्घावधि की होगी। इतिहास ने दिखाया है कि पूंजीवाद से समाजवाद में रूपांतरण, एक ही झटके में होने वाला रूपांतरण न हो कर, राजसत्ता हाथ में आ जाने के बाद भी वर्गों के गहन संघर्ष की एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है।

2.5 विश्व पूंजीवाद, मानवता की बुनियादी समस्याओं को हल करने में अक्षम है। विकसित पूंजीवादी देशों में, वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति के उपयोग से हुए

उत्पादक शक्तियों के जबर्दस्त विकास का फल भी, बिना रोजगार वृद्धि के ही विकास के रूप में सामने आया है तथा आय व संपत्ति की असमानतायें तेजी से बढ़ रही हैं। इससे, अतिरिक्त मूल्य की बढ़ी हुई दरों को हड़पकर किया जाने वाला मजदूरों का शोषण, और गहन हो गया है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी की प्रगति का इस्तेमाल, चन्द व्यक्तियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में, धन और परिसंपत्तियों के केन्द्रीयकरण को बनाये रखने के लिए किया जा रहा है। साम्राज्यवाद, एक विध्वंसक और लुटेरा निजाम साबित हुआ है। बीसवीं सदी में इसने, मानवता को दो बार बर्बर विश्व युद्धों में धकेला, जिनमें लाखों लोगों की जानें गईं। शस्त्र उद्योग का विकास पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का अभिन्न हिस्सा बन गया है, जो कुल मांग को टिकाये रखता है। राज्य की भूमिका खत्म करने की वकालत करने वाले नव-उदारवादी नुस्खों की वजह से, मजदूर वर्ग तथा आम नागरिकों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी लाभों में, निष्ठुर कटौतियां कर दी गई हैं। रोजगारहीन विकास, श्रम का अस्थायीकरण और आय व धन की बढ़ती असमानताएं, उल्लेखनीय विशेषताएं बन गयी हैं। वित्तीय व्यवस्था की चंचलता, विकसित पूंजीवादी देशों में निम्न व ठहरी हुई विकास दरें और संसाधनों के उपयोग में बढ़ता अविवेकीपन और बर्बादी, ये सभी पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित संकट के लक्षण हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की मुनाफे की लुटेरी मुहिम और अमीर देशों के अनाप-शनाप उपभोग ने, पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) को बर्बाद कर दिया है और आमतौर पर विश्व पर्यावरण तथा खासतौर पर तीसरी दुनिया में पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। उत्पादन के लगातार बढ़ते सामाजीकीकरण तथा अतिरिक्त मूल्य के लगातार बढ़ते निजी हस्तगतकरण के बीच जो बुनियादी अंतर्विरोध पूंजीवाद में अंतर्निहित रहता है, और तीखा हुआ है।

2.6 पूंजीवाद के वर्तमान चरण में, वित्तीय पूंजी का सकेंद्रण व अंतर्राष्ट्रीयकरण अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। विश्व के पैमाने पर गतिशील वित्तीय पूंजी, राष्ट्रों की संप्रभुता पर आक्रमण कर रही है, अनाप-शनाप मुनाफे बटोरने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था में बेरोकटोक घुसपैठ की मांग कर रही है। सट्टेबाजाना वित्तीय पूंजी की सेवा के लिए साम्राज्यवादी व्यवस्था, उसके मुक्त प्रवाह के रास्ते की सभी बाधाओं को तोड़ रही है और दुनिया भर में ऐसी पूंजी के हित साधने वाली शर्तें थोपती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, इस अन्यायपूर्ण उत्तर-औपनिवेशक विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के ही औजार हैं। विकसित पूंजीवादी देशों में धीमा विकास, इसी सट्टेबाजाना पूंजी के नये प्रभुत्व



का नतीजा है। तीसरी दुनिया के लिए इसका अर्थ है, गहराता शोषण और बढ़ते कर्ज का दुष्चक्र। व्यापार शर्तें, औद्योगिक व कृषि उत्पादन, तकनीकी के प्रवाह और अल्पविकसित पूंजीवादी देशों में सेवाओं का क्षेत्र, सभी को साम्राज्यवादी पूंजी के हितों के अनुकूल ढलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया है: अमीर व विकसित पूंजीवादी देश और विकासशील देश, जहां मानवता का विशाल हिस्सा रहता है। बीसवीं सदी के आखिरी दो दशकों में, अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई तेजी से चौड़ी होनी शुरू हुई और साम्राज्यवाद द्वारा ठेले जा रहे भूमंडलीकरण की शुरूआत के बाद यह खाई और चौड़ी हुई है।

2.7 साम्राज्यवाद ने, जो पुराने ढंग के उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद से, नवउपनिवेशवादी रणनीति पर चल रहा था, सोवियत संघ के विघटन के बाद, विश्व प्रभुत्व के लिए अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया। अमरीकी साम्राज्यवाद अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए, अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति का, आक्रामक रूप से इस्तेमाल कर रहा है। साम्राज्यवादी निजाम थोपने के लिए, साम्राज्यवाद द्वारा हांके जा रहे भूमंडलीकरण को, विश्वभर में सैनिक हस्तक्षेपों और नाटो के विस्तार से सहारा दिया जा रहा है। समाजवादी देश—चीन, वियतनाम, क्यूबा, कोरिया तथा लाओस—ताकतों के संतुलन में आई तब्दीली से उत्पन्न प्रतिकूल स्थितियों के सामने, समाजवाद के लक्ष्य के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। साम्राज्यवाद, मौजूदा समाजवादी देशों में भीतरघात की सक्रिय कोशिशें करता है और उनके खिलाफ वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनवरत युद्ध छेड़े हुए है। विश्व संचार क्रांति का इस्तेमाल करते हुए साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय सूचनातंत्र पर अपने नियंत्रण के जरिये, पूंजीवादविरोधी विचारों और समाजवाद को बदनाम करने तथा दबाने की आक्रामक कोशिशें करता है।

2.8 बावजूद इस तथ्य कि बीसवीं सदी के आखिर में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन साम्राज्यवाद के पक्ष में झुक गया है और पूंजीवाद, नवीन वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय खोजों को लागू कर उत्पादक शक्तियों का लगातार विकास कर पा रहा है, फिर भी यह एक संकटग्रस्त व्यवस्था ही है और दमन, शोषण और अन्याय की व्यवस्था तो है ही। समाजवाद ही ऐसी एकमात्र व्यवस्था है, जो पूंजीवाद का विकल्प है। इसलिए, साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच का अंतर्विरोध ही, इस युग का केंद्रीय सामाजिक अंतर्विरोध बना हुआ है। नव-उदारवादी हमले के चलते,

साम्राज्यवादी देशों और तीसरी दुनिया के देशों के बीच का अंतर्विरोध तेजी से गहरा होता जा रहा है और उभरकर सबसे आगे आ रहा है। पूंजीवाद के तहत असमान विकास के चलते, साम्राज्यवादी देशों के बीच अंर्तविरोध बने हुए हैं। पूंजीवाद के वर्तमान लक्षणों के चलते, जिनका हम पहले ही जिक्र कर आए हैं, श्रम और पूंजी के बीच अंतर्विरोध गहरा रहा है। ये सभी अंतर्विरोध लगातार गहन हो रहे हैं तथा विश्व के घटनाक्रम पर असर डाल रहे हैं।

2.9 साम्राज्यवाद और इसकी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ अनथक संघर्ष चलाने के लिए, मजदूर वर्ग और उसकी पार्टियों को अपने आपको को वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक रूप से तैयार करना होगा। साम्राज्यवाद से लड़ने और मौजूदा अन्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था को जारी रखने की कोशिश कर रहे शासक वर्गों को पराजित करने के लिए, दुनिया भर की वामपंथी, जनवादी और प्रगतिशील शक्तियों की एकता कायम की जानी चाहिए। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद पर आधारित पार्टी होने के नाते, सी पी आई (एम) साम्राज्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और दुनिया भर की उन ताकतों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है जो साम्राज्यवादियों द्वारा संचालित आर्थिक भूमंडलीकरण की आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ और शांति, लोकतंत्र व समाजवाद के लिए लड़ रही हैं।

## [ तीन ]

## आजादी और उसके बाद

3.1 भारतीय जनता के व्यापक हिस्सों ने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्साह के साथ भाग लिया और उसे सफल बनाया। उनमें देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी और वे स्वतंत्र भारत और उसमें जनता के नये जीवन की आशाएं लेकर चल रहे थे। उन्हें गरीबी और शोषण की बदतर परिस्थितियों के खात्मे की उम्मीद थी। उनके लिए आजादी के मायने थे—जमीन, भोजन, उचित वेतन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार। उनके लिए आजादी का अर्थ था, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों से तथा सांप्रदायिक घृणा से मुक्ति और एक जनवादी व्यवस्था में लोगों की



सांस्कृतिक जरूरतों का पूरा होना।

3.2 मजदूर वर्ग, किसानों, मध्यम वर्गों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, छात्रों और नौजवानों की व्यापक हिस्सेदारी के कारण ही, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ था। लेकिन नेतृत्व पूंजीवादी वर्ग के हाथ में ही रहा। नये राज्य का नेतृत्व संभालने वाले बड़े पूंजीवादी वर्ग ने, जनवादी क्रांति के बुनियादी कार्यभारों को पूरा करने से इनकार कर दिया। उत्पादक शक्तियों की बेड़ियों को तोड़कर ही, भारतीय समाज के नवोदय का रास्ता खुल सकता था। परजीवी जमींदारी का खत्मा करना था और जमीन खेतिहर मजदूरों व गरीब किसानों में बांटी जानी थी। विदेशी पूंजी के दमघोंटू प्रभुत्व से मुक्त कर उद्योगों का विकास करने से, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले विकसित औद्योगिक राष्ट्र की बुनियाद पड़ी होती। जनवादी क्रांति के कार्यभारों को इस तरह चौतरफा तौर पर लागू करने के संभावित नतीजों से डरकर बड़े पूंजीपति वर्ग ने, भूस्वामियों के साथ गठजोड़ बना लिया और साम्राज्यवाद के साथ समझौता कर लिया। कांग्रेसी शासकों की नीतियां, इसी पूंजीपति-भूस्वामी गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती रहीं। बाद के दशकों में अपनाए गए पूंजीवादी रास्ते की प्रकृति, शासक वर्गों के इसी चरित्र से निर्धारित हुई।

3.3 देश के चौतरफा विकास के लिए जरूरी विराट प्राकृतिक संसाधनों- भरपूर कृषि योग्य भूमि, सिंचाई क्षमताओं, तमाम किस्मों की फसलों के लिए विभिन्न इलाकों की अनुकूल स्थितियां, विपुल खनिज संसाधन और साथ ही विद्युत उत्पादन की वृहद क्षमताओं से, भारत मालामाल है। भारत की विशाल जनशक्ति, भारतीय जनता की वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रबंधकीय व बौद्धिक योग्यताएं, जबरदस्त क्षमताओं के भंडार हैं। इन क्षमताओं के विकास के बजाय, राजसत्ता हासिल करने वाले बड़े पूंजीवादी वर्ग ने, ऐसे पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाया, जो उसके अपने संकीर्ण हितों को पूरा करता था।

3.4 आजादी के बाद, पूंजीवादी वर्ग के दोहरे चरित्र ने अपने आपको, साम्राज्यवाद से टकराव और साठगांठ में व्यक्त किया। राजसत्ता प्राप्त करने वाले बड़े पूंजीपति वर्ग ने, एक खास किस्म के पूंजीवादी विकास को अपनाया। उसने साम्राज्यवाद से समझौता किया और भूस्वामी वर्ग के साथ अपना गठबंधन कायम रखा। उसने राज्य पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल, एक तरफ जनता पर हमले करके और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद और भूस्वामी वर्ग के साथ अपने टकरावों और अंतर्विरोधों को दबाव, सौदेबाजी और समझौते के जरिये हल करने की कोशिश करके, अपनी स्थिति को

मजबूत करने के लिए किया। इस प्रक्रिया में वह विदेशी इजारेदारों के साथ मजबूत कड़ियां जोड़ चुका है और भूस्वामी वर्ग के साथ सत्ता में साझेदारी कर रहा है। उदारीकरण की शुरूआत के साथ, बड़ा पूंजीवादी वर्ग विदेशी पूंजी के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने की पुरजोर वकालत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी से अपनी मजबूत कड़ियां जोड़ रहा है। वही सार्वजनिक क्षेत्र और समूची अर्थव्यवस्था के निजीकरण की मांग का मुख्य प्रवर्तक है।

3.5 आजादी के प्रारंभिक वर्षों में, पश्चिमी देशों से उपयुक्त सौदा करने में नाकाम रहने के बाद, भारत का पूंजीवादी वर्ग सोवियत संघ की तरफ मदद के लिए मुड़ा था। उसने विकास का जो पूंजीवादी रास्ता अपनाया, वह राज्य प्रायोजित पूंजीवाद का था। वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, सौदेबाजी के एक उपयोगी माध्यम के रूप में, साम्राज्यवादी व समाजवादी, दोनों गुटों की मौजूदगी का इस्तेमाल करने लगा। आम आर्थिक व बजट नीतियां प्राथमिक तौर पर, शोषक वर्गों के सीमित तबकों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से तय की जाती रहीं। भारी उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया गया क्योंकि ऐसी विराट परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटा पाने में निजी क्षेत्र सक्षम नहीं था। इस प्रकार, सार्वजनिक उपक्रमों ने अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण करने और साम्राज्यवादी इजारेदारियों पर दयनीय निर्भरता से छुटकारा पाने में, एक हद तक मदद पहुंचाई।

3.6 भारत जैसे अल्प विकसित देश में, पूंजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता की मदद से आर्थिक नियोजन ने निश्चय ही, पूंजीवादी आर्थिक विकास को एक निश्चित गति और दिशा दी। ऐसा सरकारी नीतियों की सीमाओं में ही उपलब्ध संसाधनों का कहीं इष्टकर उपयोग संभव बनाने के माध्यम से हुआ। इन योजनाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता थी—औद्योगिक विस्तार, विशेषकर राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भारी व मशीन निर्माण उद्योगों की स्थापना। ये उपलब्धियां समाजवादी देशों, मुख्यत: सोवियत संघ के सतत सहयोग के कारण ही संभव हो सकीं। वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंक व बीमा और तेल व कोयला उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से, राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ।

3.7 औद्योगीकरण के लिए कुछ अन्य नीतिगत उपाय भी, आधे अधूरे मन से ही, किए गए। शोध व विकास, एक नए पेटेंट कानून के अपनाए जाने, देशी बाजार में विदेशी पूंजी व उत्पादों के प्रवेश के नियमन और लघु उद्योगों के संरक्षण पर, जोर दिया गया। भारत में मौजूद परिस्थितियों में इन सभी उपायों से, आर्थिक



पिछड़ेपन व साम्राज्यवादी शक्तियों पर दयनीय निर्भरता पर कुछ हद तक काबू पाने में और औद्योगीकरण की तकनीकी बुनियाद रखने में मदद मिली।

3.8 सीमित नियोजन के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और राज्य हस्तक्षेप के साथ ही साथ, एक के बाद एक आयी सरकारों द्वारा लागू की गई नीतियों के चलते धन का संकेन्द्रण बढ़ता गया और इजारेदारियों का तेजी से विकास हुआ। बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में राजकीय क्षेत्र खुद ही, पूंजीवाद के निर्माण का औजार बन गया। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज का बड़ा हिस्सा, बड़ा पूंजीपति वर्ग डकार गया। इन तमाम सरकारों की बजट व कराधान नीतियां, जनता से संसाधन खींचकर, पूंजीपति-भूस्वामी वर्गों के सीमित हिस्सों के हाथों में पहुंचाने के उद्देश्य से तय की जाती रहीं। बड़े पैमाने पर कर चोरी से ढेर सारा काला धन इकटठा हो गया और यह पूंजी के निजी संचय को बढ़ावा देने का,एक तरीका बन गया। पूंजीवादी विकास के लिए बनी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए आम जनता, मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग को निर्ममतापूर्वक शोषण का शिकार बनाया गया। बुनियादी भूमि सुधारों के अभाव में घरेलू बाजार सीमित बना रहा और विदेशी पूंजी पर निर्भरता के बिना देशी उद्योगों का विकास व विस्तार नहीं हो सकता था। राज्य पूंजीवाद के इस स्वरूप के वित्त पोषण हेतु, भारी पैमाने पर बाहरी व भीतरी कर्ज लिए गए। इजारेदारियों का विकास और विदेशी वित्तीय पूंजी की बढ़ती घुसपैठ, इस रास्ते का एक खास लक्षण बन गया।

3.9 शासक वर्गों द्वारा पचास के दशक से अपनाया गया पूंजीवाद का यह खास रास्ता अपरिहार्य रूप से संकटप्रद था और गतिरोध में फंस गया। बड़े पूंजीपति वर्ग के, भूस्वामी वर्ग के साथ समझौते के चलते, देशी बाजार का विस्तार नहीं हुआ क्योंकि किसानों की क्रय शक्ति में पर्याप्त बढ़त नहीं हो सकी थी। राज्य के खर्चों और औद्योगीकरण के वित्त पोषण के लिए, बाहरी और भीतरी, दोनों ही तरह के ऋणों पर निर्भरता से विदेशी भुगतान संतुलन व वित्तीय घाटे, दोनों का ही गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। यही वित्तीय संकट, अंतत: कांग्रेस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की शर्तों को स्वीकार करने की ओर ले गया। भारतीय बड़े पूंजीपति वर्ग ने विदेशी वित्तीय पूंजी के साथ अपना सहयोग बढ़ाकर तथा अर्थव्यवस्था को खोलकर, इस संकट को हल करने की कोशिश की है।

3.10 बड़े पूंजीवादी वर्ग ने, जो पहले अपने कमजोर पूंजी आधार के कारण, पूंजीवादी विकास के लिए ढांचे के निर्माण हेतु राज्य के हस्तक्षेप की हिमायत

करता था, राज्य की मदद से हो रहे विकास और सब्सिडियों (अनुदानों) पर फल-फूलकर, पिछले दशकों में पर्याप्त पूंजी संचय कर लिया है। अस्सी के दशक के मध्य तक बड़ा पूंजीपति वर्ग, राज्य के लिए सुरक्षित धुरी क्षेत्रों में घुसने, सार्वजनिक क्षेत्र को हथियाने और विदेशी पूंजी के साथ सहयोग करते हुए नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए तैयार हो चुका था। इसी प्रक्रिया ने, राज्य प्रायोजित पूंजीवाद के रास्ते में उत्पन्न संकट के साथ जुड़कर, उदारीकरण के देशी आधार की रचना की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के विघटन ने, नीतियों में तब्दीली और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के हुक्मनामों की स्वीकृति की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया।

3.11 दरवाजे खोलने तथा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दबाव के कारण, अस्सी के दशक के मध्य में, राजीव गांधी राज के दौर से ही आर्थिक नीतियों में एक मोड़ आया। आयात उदारीकरण और ज्यादा से ज्यादा अल्पकालीन ऋण लिए जाने से जबर्दस्त वित्तीय घाटा पनपा। इसी के साथ, बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर के चलते ऐसे हालात बने जिनमें कांग्रेस सरकार ने सन 1991 में, ढांचागत समायोजन ऋण हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की शर्तों को मंजूर कर लिया। भाजपा ने, जब वह सत्ता में आई तो उदारीकरण की नीतियों को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। सन 1991 से एक के बाद एक सरकारों द्वारा उदारीकरण और ढांचागत समायोजन की नीतियों को लागू किए जाने से अर्थव्यवस्था, विदेशी पूंजी के लिए खुल गई और आयात उदारीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विघटन की प्रक्रिया चालू हो गयी। लम्बे समय से राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार के लिए सुरक्षित क्षेत्रां को भी, विदेशी व भारतीय इजारेदार पूंजी के लिए खोल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विघटन के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों का विनिवेश किया जा रहा है और उन्हें निजी इजारेदारियों को सस्ते में बेचा जा रहा है। आयात करों में कटौती के कारण, देशी उत्पादों की जगह विदेशी माल ले रहे हैं। नतीजतन, बड़े पैमाने पर मिलबंदियां हो रही हैं और दसियों हजार मजदूरों का रोजगार छीना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी ने वित्तीय क्षेत्र को खोलने के लिए लगातार दबाव बनाया है। बैंक उद्योग में निजीकरण की प्रक्रिया और बीमा क्षेत्र को खोलने को प्राथमिकता दी गयी है। सन 1994 में गैट समझौते पर दस्तखत करने के चलते, भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्लू टी ओ) निजाम को स्वीकार करना पड़ा है। पेटेंट कानून में परिवर्तन तथा सेवा क्षेत्रों को खोलने से साम्राज्यवादी पूंजी के हित ही पूरे हुए हैं। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप आर्थिक संप्रभुता कमजोर हुई है।



3.12 उदारीकरण और निजीकरण के रास्ते के अपनाए जाने से, बड़े पूंजीपति वर्ग को जबर्दस्त फायदा पहुंचा है। नये व्यापारिक घरानों के उदय के साथ इसकी कतारें और बढ़ गयी हैं। चोटी के 22 इजारेदार घरानों की परिसंपत्तियां, जो सन 1957 में 312.63 करोड़ रुपये थीं, 1997 तक पांच सौ गुनी बढ़कर 1,58,004.72 करोड़ पर जा पहुंची थीं। उदारीकरण के तहत, बड़े पूंजीपति घरानों और संपन्न तबकों को आय कर में कमी करके तथा संपदा कर जैसे अन्य करों को समाप्त कर, बड़ी-बड़ी छूटें दी गयी हैं। इन नीतियों ने संपन्न वर्गों को बेतहाशा धनाढ्य बनाया है तथा उनके उपभोग के, ऐशो-आराम के मालों के बाजार को विस्तृत किया है। इस मांग को पूरा करने के लिए ये माल या तो विदेशी पूंजी के साथ गठबंधन कर देश में ही पैदा किए जाते हैं या उनका आयात किया जाता है। विदेशी पूंजी की अंधाधुंध घुसपैठ से, देशी उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों को खरीद रही हैं। भले ही गैर-बड़े पूंजीपति वर्ग के कुछ हिस्से विदेशी पूंजी के साथ सहयोग के इच्छुक दिखते हों, मध्यम व छोटे पूंजीपतियों के बड़े हिस्से उदारीकरण की नीतियों से बुरी तरह पिट रहे हैं।

3.13 उदारीकरण के दौर में बाहरी और भीतरी, दोनों ही तरह के कर्ज बढ़ गये हैं। राजस्व व्ययों का बड़ा हिस्सा, केवल ब्याज अदायगी पर ही खर्च किया जा रहा है। सार्वजनिक निवेश व व्यय घट रहे हैं जिससे, विकास कार्यों और गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर असर पड़ रहा है। उदारीकरण के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताएं तीखेपन के साथ बढ़ी हैं। यहां तक कि खुद सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, उनकी तादाद भी बढ़ी है। आवश्यक वस्तुओं, खासकर खाद्य सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीबों पर, विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काट-छांट की पृष्ठभूमि में, सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सामाजिक क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में कटौतियों का मेहनतकश जनता पर विनाशकारी असर पड़ा है।

3.14 पूंजीपतियों और सरकार द्वारा लादे गये भारी बोझ की मार को, मजदूर वर्ग को सहना पड़ा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मजदूरों की वास्तविक पगारों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। औद्योगिक क्षेत्र में संकट के स्थायी हो जाने के साथ ही, मजदूरों को मिलबंदियों और छंटनी के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर बने कानूनों में खामियां हैं और उन्हें भी

लागू नहीं कराया जाता है; मालिकों द्वारा कानूनों का उल्लंघन एक आम बात है। उन्हें गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों की मान्यता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उदारीकरण और निजीकरण की मुहिम से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं जबकि उनके लिए सामाजिक सुरक्षाओं की किसी व्यवस्था का सहारा भी नहीं है। उदारीकरण की नीति के हिस्से के तौर पर, श्रम बाजार को भी नियंत्रण मुक्त किए जाने की मांग की जा रही है। लंबे संघर्षों के बाद, मजदूरों द्वारा हासिल लाभों व अधिकारों में भी कटौती की कोशिश हो रही है। स्थायी नौकरियों को अस्थायी नौकरियों में बदला जा रहा है। कामगार महिलाओं को कम पगार मिलती है और सबसे पहले उन्हीं की छंटनी की जाती है। बाल श्रम में और बढ़ोतरी हुई है तथा बाल मजदूर शोषण के निकृष्टतम रूपों के शिकार हैं। संगठित क्षेत्र से बाहर दसियों लाख मजदूर हैं जिन्हें श्रम कानूनों का संरक्षण हासिल नहीं है और जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तक से वंचित हैं। विराट असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर रहे पुरुषों व महिलाओं की दुर्दशा है। उन्हें सामान्य कार्य दिवस से कई-कई घंटा ज्यादा, पगार के नाम पर चंद टुकड़ों के लिए काम करना पड़ता है, वह भी अक्सर घातक कार्यदशाओं में और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के। मजदूर वर्ग का यह शोषण और उनकी मेहनत का भुगतान न किया जाना ही है जिनसे पूंजीपति वर्ग, बड़े ठेकेदारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे आ रहे हैं।

3.15 कृषि का सवाल भारतीय जनता के सामने सर्वप्रमुख राष्ट्रीय प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है जिनमें भूस्वामी व्यवस्था के खात्मे, साहूकार-व्यापारी शोषण और ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व लिंग-आधारित उत्पीड़न को निशाना बनाने वाले,मूलगामी और चौतरफा कृषि सुधार शामिल हों। भारत में पूंजीवादी-भूस्वामी राज का दिवालियापन कहीं भी इतना साफ-साफ नहीं दिखाई देता जितना कि कृषि प्रश्न को, एक प्रगतिशील और जनवादी ढंग से हल करना तो दूर, उसकी कोई कोशिश तक करने में, उसकी असफलता में दिखाई देता है।

3.16 आजादी के बाद कांग्रेसी शासकों ने भूस्वामी व्यवस्था के खात्मे के बजाय, अर्धसामंती भूस्वामियों को पूंजीवादी भूस्वामियों में रूपांतरित करने और धनी किसानों के एक तबके को विकसित करने की कृषि नीतियां अपनाईं। पुरानी कानूनी जमींदारियों की समाप्ति के लिए उठाए गए वैधानिक उपायों से उन्हें भारी मुआवजे



मिले और वे बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा बनाए रख सके। पट्टेदारी कानूनों के अमल से, जिनमें खुदकाश्त के बहाने जमीनें वापस लेने का हक दिया गया था, दसियों लाख काश्तकारों की बेदखलियां हुईं। भूमि हदबंदी कानून में काफी चोर दरवाजे छोड़कर, बड़ी जोतें बनाए रखने का अवसर दिया गया। दसियों लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि न तो अधिग्रहीत की गयी और न ही उसका खेतिहर मजदूरों व गरीब किसानों में वितरण किया गया। कांग्रेस पार्टी का रिकार्ड, ग्रामीण रूपांतरण के ऐतिहासिक अवसर के साथ बहुत भारी विश्वासघात का रिकार्ड है। मौजूदा कानूनों के तहत भूमि सुधारों को, केवल सी पी आई (एम) की अगुआई में वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों ने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में लागू किया है।

3.17 कांग्रेसी सरकारों और उत्तराधिकारियों की कृषि नीतियां, निवेश हेतु राशियों के आवंटन और सरकारी ऋणों के मामले में, भूस्वामियों तथा धनी किसानों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से ही बनाई गयीं। बैंकों के और सहकारी ऋणों को, यही तबके हड़प गए। साठ के दशक के उत्तरार्ध से उन्नत तकनीकी के उपयोग, गेहूं व चावल की नयी किस्मों के उच्च पैदावार वाले बीजों के इस्तेमाल व रासायनिक कृषि सामग्रियों के उपयोग से, खाद्यान्नों और गैरखाद्यान्न फसलों की पैदावार बढ़ी। कृषि में इस विकास के साथ ही असमानताएं भी बढ़ती गईं। हालांकि भारत अधिक अन्न पैदा करने लगा तथा खाद्य के क्षेत्र में आत्म निरर्भरता हासिल करने में सक्षम हो गया फिर भी, दसियों लाख लोग पर्याप्त भोजन से वंचित रहे और भूख तथा कुपोषण के शिकार बने रहे।

3.18 कृषि संबंधों में प्रमुख प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीवादी संबंधों का विकास रही है, जिसकी पहचान इस प्रकार की जा सकती है: ग्रामीण मेहनतकश जनता के बड़े हिस्सों का सर्वहाराकरण और ग्रामीण आबादी में खेतमजदूरों की तादाद का बड़े पैमाने पर बढ़ना; किसानों का तीव्र होता हुआ विभेदीकरण; बाजार के लिए उत्पादन; परंपरागत पट्टेदारी अधिकार वाले कृषकों की बड़े पैमाने पर बेदखली और ग्रामीण धनाढ्यों, विशेषकर भूस्वामियों द्वारा कृषि संबंधी गतिविधियों और खेती में पूंजी के पुनर्निवेश का बढ़ता हुआ स्तर, जिससे पूंजी के इतने बड़े पैमाने पर पुनरोत्पादन का आधार बना, जो पहले नहीं हुआ करता था।

3.19 यदि कृषि में पूंजीवादी संबंधों का विकास स्पष्टतया ही प्रमुख अखिल भारतीय प्रवृत्ति है, तो यह भी उतना ही स्पष्ट है कि उत्पादन व विनिमय के

पूंजीवादी संबंधों के विकास से, कृषि संबंधों में ही ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय विभिन्नताएं तथा असमानताएं भी पनपी हैं। देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां खेती में पूंजीवाद विकसित हो गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापारिक खेती तथा नकद लेन-देन हावी है। कुछ हिस्से हैं जहां कृषि संबंधों में अब भी भूस्वामित्व व पट्टेदारी के पुराने रूप और श्रम सेवा, दासता और बंधुआ प्रथा जैसे बहुत पुराने पड़ चुके तौर-तरीके, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और देश भर में जाति विभाजन, जाति उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के निकृष्टतम रूप और सूदखोरों व व्यापारिक पूंजी द्वारा गरीबों का शोषण, बराबर कायम हैं। भारतीय कृषि में पूंजीवादी विकास, पुराने स्वरूपों के निर्णायक विध्वंस पर आधारित नहीं है बल्कि पूर्व-पूंजीवादी उत्पादन संबंधों व उससे जुड़े सामाजिक संगठन के रूपों की दलदल पर ऊपर से थोपा हुआ है। ''आधुनिक'' का विकास पुरातन के लगातार जारी अस्तित्व को खारिज नहीं करता है। भारत इस नियम की जिंदा मिसाल है कि पूंजीवाद, खेती और ग्रामीण समाज में कितने ही रास्तों से घुसपैठ करता है।

3.20 पूंजीवादी-भूस्वामी आर्थिक नीतियों के चलते आजादी के पांच दशकों के बाद, 70 प्रतिशत काश्तकार, गरीब किसान व खेतमजदूर हैं, जिनके पास उत्पादक परिसंपत्तियों का अभाव और उनकी कम आमदनियां व जीवन की बदतर स्थितियां, आम गरीबी की पहचान बनी हुई हैं। जिस विशाल पैमाने पर भारत में ग्रामीण गरीबी व्याप्त है, उसके समकक्ष दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं ठहरेगा। यहां तक कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी, स्वतंत्रता के 50 साल बाद ग्रामीण भारत में, 28 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन गरीबी के भी कई पहलू हैं। यह केवल बदतर आमदनी तक ही सीमित नहीं है। जनता के लिए यह कई तरीकों से व्यक्त होती है। ग्रामीण गरीबों के पास जमीन और उत्पादन के साधन या तो बहुत कम हैं या बिलकुल नहीं हैं। स्वामित्व में असमानता और भूमि संकेन्द्रीकरण, बिना किसी बड़े परिवर्तन के जारी है। इसी के साथ सिंचाई के जल स्रोतों का, बड़े पैमाने पर, ग्रामीण धनाढ्यों के हाथ में संकेन्द्रण भी जारी है। किसान जनता और खेतमजदूरों की, उचित ब्याज दरों पर मिलने वाले ऋणों तक पहुंच नहीं है और वे ब्याज की सूदखोराना दरों पर, गहरे तक कर्जों में धंसे हुए हैं। कम मजदूरी और महिलाओं के साथ मजदूरी में भेदभाव, एक प्रमुख लक्षण है। खेतमजदूर के लिए साल भर में औसतन 180 दिनों से कम का रोजगार उपलब्ध है। 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण आबादी अपोषण की शिकार है, साक्षरता दरें बेहद नीची हैं, और ग्रामीण गरीब बिना पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाओं के, बदतर घरों में,



अस्वास्थ्यकर हालात में जी रहे हैं।

3.21 ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण धनाढ्यों यानी भूस्वामियों, धनी किसानों, ठेकेदारों तथा बड़े व्यापारियों का शक्तिशाली गठजोड़ पनप गया है। वामपंथी प्रभाव वाले राज्यों को छोड़कर, शेष देश में यही गठजोड़ पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, ग्रामीण बैंकों व साख संस्थाओं पर प्रभुत्व जमाए हुए है और पूंजीवादी-भूस्वामी पार्टियों के ग्रामीण नेतृत्व को नियंत्रित करता है। इस तबके द्वारा हथियाया गया अतिरिक्त उत्पाद सूदखोरी , सट्टेबाजी, भू-निर्माण संपत्तियों के विकास तथा कृषि आधारित उद्योगों में भी लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुत्वशाली वर्ग, समर्थन जुटाने के लिए जाति-संबंधों का इस्तेमाल करता है और ग्रामीण गरीबों को आतंकित करके दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। भूस्वामियों के विरोध के कारण ही संविधान लागू होने के 50 साल बाद भी किसी भी सरकार ने, खेतमजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवनस्थितियों तथा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का कानून नहीं बनाया है।

3.22 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से व्यापारीकरण के साथ ही, खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों का बाजार बहुत बढ़ गया है। कृषि उत्पादों पर इजारेदार व्यापारिक संस्थानों की पकड़ मजबूत हो गयी है। उदारीकरण के कारण, विश्व बाजार में उच्च तकनीक के साथ कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, कृषि मालों की कीमतों पर सीधा नियंत्रण है। असमान विनिमय तथा कीमतों के तीखे उतार-चढ़ावों के जरिये, किसानों के शोषण का गहन होना, स्थायी लक्षण बन गया है। परिणामत: कृषि उत्पादों के विक्रेता और औद्योगिक मालों के खरीददार के रूप में किसान को, दोहरे तौर पर निचोड़ा जा रहा है।

3.23 राज्य प्रायोजित पूंजीवादी विकास का दम निकल जाने के बाद आई उदारीकरण की नीतियों से, बीसवीं सदी के अंतिम दशक में, कृषि व ग्रामीण विकास की नीतियों में खतरनाक और प्रतिक्रियावादी मोड़ आया है। इन नीतियों में कृषि, सिंचाई और अन्य ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में गिरावट शामिल है। संस्थागत ऋणों में भी भारी गिरावट आई है जिससे सबसे ज्यादा चोट गरीब परिवारों पर पड़ी है। ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में भी कटौती हो गयी है। साम्राज्यवादी देशों की मांगों की पूर्ति करने के लिए निर्यातोन्मुखी कृषि को नीतिगत बढ़ावा देने के चलते, भूमि के उपयोग और फसलों के पैटर्न बदल गये हैं। खाद्यान्न उत्पादन पर जोर घटाने और खाद्य उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को

कमजोर करने से, संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती पैदा होती है। विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि उत्पादों के आयातों पर लगी सभी परिमाणात्मक पाबंदियों को हटाया गया है, जिसका किसानों की रोजी-रोटी पर गंभीर असर पड़ रहा है। भूमि हदबंदी कानूनों को ढीला करने तथा भारतीय बड़े पूंजीपतियों को तथा विदेशी कृषि व्यवसाइयों को जमीनें पट्टे पर देने के लिए, राज्यों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों का मार्केटिंग के अलावा कृषि उत्पादन में और विशेष रूप से बीज, दुग्ध उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों में, प्रवेश हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में, ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, जिनसे अपने जैव संसाधनों के बावत भारत की स्वतंत्रता कमजोर होती है तथा किसानों और जायज पौध उत्पादकों के अधिकारों का खात्मा होता है। राज्य प्रायोजित कृषि शोध और विस्तार व्यवस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।

3.24 कृषि क्षेत्र में, राज्य प्रायोजित पूंजीवाद के विकास के कारण, एक ओर अमीरों, जिनमें भूस्वामी, पूंजीवादी कृषक, धनी किसान और उनके सहयोगी शामिल हैं और दूसरी ओर आम किसानों, जिनमें मुख्यत: खेतमजदूर गरीब किसान और दस्तकार शामिल हैं, के बीच विभाजन तीखा हो रहा है। कृषि क्षेत्र में अपनाई गयी उदारीकरण की तमाम नीतियों से ग्रामीण गरीबों पर बोझ बढ़ गया है। यही वह शोषक व्यवस्था है जो आम गरीबी के लिए जिम्मेदार है। भूमि एकाधिकार को तोड़े बिना और गरीब किसानों और खेतमजदूरों पर लदे कर्ज के बोझ को समाप्त किए बिना, देश के आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण की बुनियाद नहीं रखी जा सकती है।

3.25 साम्राज्यवाद द्वारा ठेले जा रहे भूमंडलीकरण और भारतीय शासक वर्गों द्वारा अपनाई गयी उदारीकरण की नीतियों ने, हमारे देश में जीवन के सभी क्षेत्रों में, साम्राज्यवादी घुसपैठ बढ़ा दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों व साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों में घुसपैठ और प्रभाव जमाए जाने का आधार बना है। नौकरशाही, शिक्षा प्रणाली, प्रचार माध्यम और सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी साम्राज्यवादी घुसपैठ के शिकार बनाये जा रहे हैं।

3.26 समाजवाद को लगे धक्के के परिणामस्वरूप विश्व के वर्गीय संतुलन में आए बदलाव की पृष्ठभूमि में फले-फूले तत्ववाद और प्रतिक्रियावादी तथा उपजातीय कट्टरता का, भारत पर भी असर हुआ है। साम्राज्यवाद, ऐसी ताकतों के विकास का फायदा उठाकर, देश की एकता को कमजोर करना चाहता है ताकि वह अपनी



जकड़ और असर को पुख़्ता कर सके। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सूचना माध्यमों का विस्तार साम्राज्यवाद को, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने व उसमें सीधे हस्तक्षेप करने में समर्थ बनाता है। बहुराष्ट्रीय सूचना माध्यमों के जरिए उपभोक्तावादी, अहंकारवादी और पतनशील मूल्यों के प्रसार का, हमारे समाज पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत के सूचना माध्यम, जो बड़े पूंजीपतियों और अन्य व्यापारिक हितों द्वारा नियंत्रित हैं, इन्हीं मूल्यों का व्यवस्थित ढंग से प्रसार कर रहे हैं। स्वस्थ, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विकास के लिए, इन पश्चगामी प्रवृत्तियों से लड़ना जरूरी है।

3.27 सन 1950 में स्वीकृत भारतीय गणतंत्र के संविधान ने, राज्य के पालन के लिए कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत तय किए थे। इनमें शामिल हैं: प्रत्येक नागरिक के लिए जीवनयापन के पर्याप्त साधनों और काम का अधिकार; ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धन का संक्रेंद्रण न हो; शिक्षा का अधिकार और बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था; मजदूरों के लिए जीवन यापन के लायक पगार और पुरुषों व महिलाओं के लिए समान काम का समान वेतन। इनमें से किसी भी सिद्धांत को व्यवहार में अमल में नहीं लाया गया है। संवैधानिक वादों और पूंजीवादी शासकों के व्यवहार के बीच का यह भद्दा फर्क, स्वतंत्रता के बाद कायम हुए पूंजीवादी-भूस्वामी निजाम को जोरदार ढंग से दोषी ठहराए जाने जैसा है।

# [ चार ]

# विदेश नीति

4.1 किसी भी राज्य और उसकी सरकार की विदेश नीति, अंतिम विश्लेषण में, उसकी आंतरिक नीति के प्रतिफलन के सिवा और कुछ नहीं होती है तथा वह मुख्यत: सरकार और राज्य का नेतृत्व करने वाले वर्ग या वर्गों के स्वार्थों को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार की विदेश नीति, स्वाभाविक रूप से, हमारे पूंजीपति वर्ग के, एक ओर साम्राज्यवाद के विरोध और दूसरी ओर उससे समझौते और सहयोग के, दोहरे चरित्र को प्रतिबिंबित करती है। पिछले पांच दशकों में, विदेश नीति के विकास का संपूर्ण अवलोकन, इस दोहरेपन को ही प्रदर्शित करता

है। प्रारंभिक चरण में, पचासवें दशक के मध्य तक, भारत की सरकार ब्रिटिश और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों को तुष्ट करने की कातर नीति पर चलती रही थी। लेकिन पाचवें दशक के मध्य से, एक नया रुझान शुरू हुआ। समाजवादी और साम्राज्यवादी खेमों में विश्व के तीखे विभाजन से, साम्राज्यवादी गठजोड़ में शामिल होने से बचने की संभावनाएं खुल गयीं। अब विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के पक्ष में, सैनिक गठजोड़ों के खिलाफ और औपनिवेशिक जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के समर्थन में और शांति के पक्ष में, मुड़ गयी।

4.2 इस नीति के परिणामस्वरूप, सोवियत संघ और समाजवादी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बने। वैसे सन 1962 में चीन के साथ सरहदी टकराव के समय, एक दौर अमरीका और पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों से सहयोग का भी चला, जब भारत ने उनसे सैनिक सहायता मांगी थी। इस अवधि के बाद, विदेश नीति ने एक बार फिर वही साम्राज्यवादविरोधी रुख अख्तियार कर लिया। सन् 1971 में बंगलादेश के मुक्ति आंदोलन के समर्थन और सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि ने, एक नए चरण की शुरूआत की। सत्तर के दशक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर विश्व शांति के पक्ष में और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के समर्थन में, सक्रिय भूमिका अदा की।

4.3 विदेश नीति के संदर्भ में, भारतीय पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवाद के बीच के अंतर्विरोध, कश्मीर के मुददे पर तथा पाकिस्तान को अपनी कार्रवाइयों के लिए अड्डे की तरह इस्तेमाल करने के अमरीकी रणनीतिक मंसूबों में अभिव्यक्त हुए। नव-स्वतंत्र देशों में एक नेतृत्वकारी राष्ट्र के रूप में, भारतीय पूंजीवादी वर्ग ने, गुटनिरपेक्षता की नीति का मार्ग प्रशस्त किया और इस नीति ने मोटे तौर पर देश के हितों को बखूबी पूरा किया। फिर भी, शासक वर्गों के वर्गीय चरित्र के चलते, इस नीति के पालन में काफी ढुलमुलपन भी बरता जाता रहा था। विदेशी पूंजी के पक्ष में जाने वाली घरेलू नीतियों और एक स्वतंत्र विदेश नीति के बीच अंतर्विरोध, हमेशा ही बने रहे।

4.4 सोवियत संघ के विघटन और घरेलू स्तर पर उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के अपनाये जाने के साथ बीसवीं सदी के अंतिम दशक में, विदेश नीति एक नए चरण में प्रवेश कर गई। गुटनिरपेक्षता और साम्राज्यवादविरोध की, लम्बे समय से अपनाई जा रही विदेश नीति का उल्टा जाना नरसिंह राव सरकार के समय में ही



शुरू हो गया था। आत्मनिर्भरता से मुंह मोड़ लेने और विदेशी पूंजी व उदारीकरण को अपना लेने से, साम्राज्यवाद को भारत पर और दबाव बढ़ाने में मदद मिली। विदेश नीति संबंधी रुखों में इसकी अभिव्यक्ति हुई। नब्बे के दशक में भारत सरकार ने, सैनिक प्रशिक्षण व संयुक्त अभ्यास के लिए, अमरीका के साथ सैनिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। 1998 में भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार के सत्ता में आने के साथ, साम्राज्यवादपरस्त रुझान और मजबूत हुआ है। भाजपा निजाम ने अमरीका का जूनियर पार्टनर बनने की नीति की वकालत कर, एक बड़ा विचलन ला दिया है। अमरीका के विश्व मंसूबों के लिए गुंजाइश छोड़ने के लिए उसने अनेक लंबे अर्से से चले आते गुटनिरपेक्ष रुखों को छोड़ दिया है। विदेश नीति के लिए खतरा वास्तविक हो गया है क्योंकि अमरीका की, चीन व रूस के खिलाफ अपने विश्व मंसूबों को साधने के लिए, भारत को एक रणनीतिक गठजोड़ में शामिल कर लेने की दूरगामी योजनाएं हैं। राजसत्ता पर बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व के रहते और उसके साम्राज्यवाद-हितैषी नीतियों पर चलते हुए, गुटनिरपेक्षता और साम्राज्यवादविरोध पर आधारित एक ऐसी दृढ़ विदेश नीति की गारंटी नहीं की जा सकती है।

4.5 मई 1998 में, पोखरण के परीक्षणों के बाद, भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार के नाभिकीय शस्त्रीकरण शुरू करने के निर्णय से, भारत की विदेश नीति व नाभिकीय नीतियों में एक खतरनाक मोड़ आया है। इसने, पाकिस्तान द्वारा भारतीय नाभिकीय परीक्षणों का जवाब दिए जाने के साथ, इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ की स्थिति पैदा कर दी है। इस उन्मादी नाभिकीय नीति ने, लम्बे समय से चली आती गुटनिरपेक्षता और शांति की नीति को कमजोर किया है। इससे साम्राज्यवादी ताकतों के दबावों के सामने, जिनका नेतृत्व अमरीकी साम्राज्यवाद कर रहा है, भारत और कमजोर हुआ है।

4.6 विदेश नीति की इस साम्राज्यवादपरस्त दिशा का मुकाबला करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश नीति का गुटनिरपेक्ष आधार बहाल हो तथा वह साम्राज्यवादी दवाबों का मुकाबला करने की उन्मुखता हासिल करे, वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों को जबर्दस्त संघर्ष चलाना होगा। केवल यही नीति, विश्व के मामलों में अपनी स्वतंत्र भूमिका बनाये रखने में और आर्थिक स्वतंत्रता को बचाये रखने में भारत की मदद कर सकती है।

# [ पांच ]

# राज्य की संरचना और जनवाद

5.1 वर्तमान भारतीय राज्य, बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में, पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है, जो पूंजीवादी विकास पथ पर चलते हुए, विदेशी वित्तीय पूंजी के साथ उत्तरोत्तर सहयोग कर रहे हैं। देश के जीवन में, राज्य की भूमिका और काम को सारत: यही वर्ग चरित्र, निर्धारित करता है।

5.2 यद्यपि यह माना जाता है कि हमारे राज्य का ढांचा संघीय है, लेकिन प्राय: सारी सत्ता और संसाधन केन्द्र सरकार के हाथों में केन्द्रित हैं। यद्यपि प्रारंभ में बड़े पूंजीवादी वर्ग ने, भाषायी समरूपता के आधार पर प्रदेशों के गठन की मांग का प्रतिरोध किया, लेकिन जनांदोलनों व संघर्षों के भारी दबाव ने उसे भाषावार प्रदेशों के गठन के लिए तैयार होने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने, जो प्रशासनिक सुविधा पर आधारित छोटे-छोटे राज्यों की वकालत करती है, भाषावार राज्यों के सिद्धांत पर एक नया हमला बोला है। इससे संघीय ढांचा और कमजोर होगा। निर्वाचित प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करने और निर्वाचित प्रदेश विधायिकाओं को भंग करने के लिए, प्रकृति से ही अलोकतांत्रिक धारा 356 का केन्द्र द्वारा बारम्बार इस्तेमाल, संघीय व्यवस्था के साथ भीतरघात करने और प्रदेशों की स्वायत्तता पर हमले करने का प्रमुख हथियार बना रहा है। संघ के संघटक राज्यों के पास मामूली शक्तियां ही हैं, जिसके कारण वे केन्द्र सरकार पर निर्भर रहते हैं और उनका विकास बाधित होता है।

5.3 इन हालात में, केन्द्र सरकार और प्रदेशों के बीच के अंतर्विरोध बढ़ गए हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। इन अंतर्विरोधों की तह में अक्सर, एक तरफ तो बड़े पूंजीवादी वर्ग और दूसरी तरफ राज्यों के पूंजीपति वर्ग व भूस्वामियों सहित वहां की जनता के बहुमत, के बीच के अंतर्विरोध होते हैं। पूंजीवाद के तहत, असमान आर्थिक विकास के चलते, यह अंतर्विरोध लगातार गहरा होता जाता है। इसी की राजनीतिक अभिव्यक्ति, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय में होती है, जो इन राज्यों की जनता की भाषायी-जातीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं और आमतौर पर संबंधित क्षेत्र के पूंजीवादी-भूस्वामी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।



5.4 आजादी के बाद से लागू की जा रहीं, पूंजीवादी-भूस्वामी नीतियों के कारण, राष्ट्रीय एकता की समस्या गहरा गई है। देश का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जहां बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं और उपजातीय समूह रहते हैं, इस पूंजीवादी विकास से पैदा हुए क्षेत्रीय असंतुलन और असमान विकास की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। इससे उग्रवादी तत्वों को फलने-फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है। वे अलगाववाद की वकालत करते हैं और साम्राज्यवादी एजेंसियों द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाता है। उग्रवादियों की हिंसक कार्रवाइयां और उपजातीय टकराव, विकास कार्यों और लोकतांत्रिक गतिविधियों में रुकावट डालते हैं।

5.5 संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता व विशेष दर्जा दिया गया था। पिछले दशकों में, स्वायत्तता के प्रावधानों में भारी काट-छांट हुई है और राज्य में जनता का बेगानापन बढ़ता गया है। इसका इस्तेमाल, पृथकतावादी ताकतों ने किया है, जिनको पाकिस्तान की मदद हासिल है। अमरीका के नेतृत्व में, साम्राज्यवाद, इस विवाद का इस्तेमाल भारत को दबाव में लेने और इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाने के लिए करता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और उसी तरह कश्मीर की भी समस्यायें, राष्ट्रीय एकता के मसलों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने में पूंजीवादी भूस्वामी वर्गों की नाकामी की मिसालें हैं।

5.6 आदिवासी और जनजातीय जन, जिनकी आबादी सात करोड़ है, क्रूर पूंजीवादी और अर्द्धसामंती शोषण के शिकार हैं। जमीनें उनके हाथ से निकल गई हैं, जंगल पर अधिकार छिन गए हैं और वे ठेकेदारों तथा भूस्वामियों के लिए सस्ती और बंधुआ मजदूरी का स्रोत बन गए हैं। कुछ राज्यों में जनजातीय लोगों की बसाहटों के सघन इलाके हैं तथा उनकी अपनी खास भाषाएं व संस्कृतियां हैं। जनजातीय जनता के बीच, अपनी पहचान व संस्कृति को बचाये रखने के साथ-साथ, जिंदगी की बेहतरी के लिए अपने अधिकारों की रक्षा की नई चेतना का उभार हुआ है। उनकी पहचान और अस्तित्व के लिए पैदा हुए खतरों तथा पूंजीवादी-भूस्वामी शासकों की निष्ठुर नीतियों के कारण, जनजातीय लोगों के कुछ हिस्सों में, पृथकतावादी प्रवृत्तियां भी पनप गई हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो परस्पर सटे हुए हैं तथा जहां आदिवासी बहुसंख्या में हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, जायज और लोकतांत्रिक है। पूंजीवादी - भूस्वामी - ठेकेदार गठजोड़, उनके नेतृत्व को कुछ रियायतें देकर उनकी परंपरागत एकजुटता को भंग करने की बराबर कोशिश करता है, उन्हें जायज अधिकारों से वंचित करता है और उन्हें बर्बर

ताकत के साथ कुचलता है।

5.7 धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान में स्थापित है और राज्य का बड़ा पूंजीवादी नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के मूल्यों का उद्घोष करता है। फिर भी पूंजीपति वर्ग द्वारा धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार, दोषपूर्ण रहा है। वे धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा को ही तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। वे जनता से यह मनवाना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, धर्म और राजनीति का पूर्ण अलगाव न होकर, सभी धार्मिक संप्रदायों को राज्य और राजनीति के मामलों में, समान रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार देना है। धर्मनिरपेक्षताविरोधी रुझानों से सख्ती से लड़ने के बजाय पूंजीपति वर्ग, अक्सर उन्हें रियायतें देता है और ताकत पहुंचाता है। सांप्रदायिक और फासीवादी सोच वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्ववाले गठबंधन के उभार और उसके केन्द्र में सत्ता संभालने के साथ, धर्मनिरपेक्ष बुनियाद के लिए पैदा हुई चुनौती ने बड़े खतरे का रूप ले लिया है। राज्य की संस्थाओं, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली और सूचना माध्यमों के सांप्रदायिकीकरण की योजनाबद्ध कोशिशें जारी हैं। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का उभार, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की ताकतों को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालेगा। भाजपा और उसके साम्प्रदायिक मंच के लिए, बड़े पूंजीपति वर्ग के एक हिस्से के समर्थन के, देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

5.8 इसीलिए, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के दृढ़तापूर्वक क्रियान्वयन के लिए समझौताहीन संघर्ष चलाने हेतु संकल्पित है। इन सिद्धांतों से, जरा से भी भटकाव को बेनकाब किया जाना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, सभी धर्मिक संप्रदायों और साथ ही किसी भी धर्म में विश्वास न करने वालों के भी, किसी भी धर्म या आचार में आस्था रखने या किसी में भी आस्था न रखने के अधिकार की रक्षा करने के साथ ही, पार्टी को देश के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में, धर्म के किसी भी रूप में हस्तक्षेप के खिलाफ और संस्कृति, शिक्षा तथा समाज में धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के लिए, संघर्ष करना चाहिए। धार्मिक सांप्रदायिकता पर आधारित फासीवादी रुझानों के जड़ जमाने के खतरे का, सभी स्तरों पर दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया जाना चाहिए.

5.9 पूंजीवादी शोषण के हालात में, अल्पसंख्यकों के संविधान के तहत गारंटीशुदा अधिकारों पर भी अमल नहीं होता। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ आर्थिक व



सामाजिक, दोनों ही क्षेत्रों में भेदभाव होता है और समान अवसरों का अभाव है। सांप्रदायिक दंगे और मुसलमानों पर हिंसक हमले, एक स्थायी लक्षण ही बन गये हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन लगातार, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत उकसाते हैं और वे ईसाई समुदाय को भी निशाना बना रहे हैं। इससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और अलगाव पनपते हैं, जिनसे तत्ववादी रुझान फलते-फूलते हैं और धर्मनिरपेक्ष बुनियाद कमजोर होती है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता अल्पसंख्यकों को अलग-थलग करती है और तमाम उत्पीड़ित तबकों के साझा आंदोलन में बाधा पहुंचाती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, जनवाद और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने के संघर्ष का एक अहम पहलू है।

5.10 पूंजीवादी-भूस्वामी व्यवस्था, जाति-आधारित उत्पीड़न को समाप्त करने में भी नाकाम रही है। अनुसूचित जातियां इसकी सबसे बुरी शिकार हैं। गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद, दलितों के साथ अस्पृश्यता और भेदभाव के अन्य तरीकों का व्यवहार जारी है। दलितों के बीच मुक्ति की उभरती हुई चेतना का मुकाबला, क्रूर दमन और अत्याचारों से किया जाता है। दलितों के बीच अपनी हस्ती का अहसास जागना, एक लोकतांत्रिक भावना है जो समाज के सबसे दबे हुए हिस्सों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। इस जाति-विभाजित समाज में, पिछड़ी जातियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं।

5.11 इसीके साथ, ऐसी शुद्ध जातिवादी दुहाई भी सक्रिय रही है जो, वोट बैंक पुख्ता करने के संकीर्ण हितों के लिए, जातिवादी विभाजन को बनाये रखना चाहती है और इन दलित हिस्सों को साझा जनवादी आंदोलनों से काटने की कोशिश करती है। अनेक जाति-नेता और पूंजीवादी राजनैतिक दलों के कुछ नेता, संकीर्ण चुनावी हितों के लिए जाति के आधार पर ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करते हैं और वे सभी जातियों के दबे-पिसे तबकों का साझा आंदोलन विकसित किए जाने के खिलाफ हैं। वे भूमि, मजदूरी और भूस्वामी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जैसे उन बुनियादी वर्गीय मुद्दों को नजरंदाज करते हैं, जोकि पुरानी समाज व्यवस्था को उलटने की बुनियाद हैं।

5.12 जाति उत्पीड़न व भेदभाव की समस्या का लंबा इतिहास है तथा उसकी जड़ें पूर्व-पूंजीवादी समाज व्यवस्था में गहरे तक धंसी हुई हैं। पूंजीवादी विकास के तहत समाज ने, मौजूदा जाति व्यवस्था के साथ, समझौता कर लिया है। भारतीय पूंजीपति वर्ग खुद जातीय पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देता है। जाति व्यवस्था और दलितों

के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, मजदूर वर्ग की एकता का पूर्वाधार है क्योंकि दलित जनता का बहुमत, मेहनती वर्गों का हिस्सा है। जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए संघर्ष करना, जनवादी क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, वर्गीय शोषण के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है।

5.13 स्वतंत्रता आंदोलन में समान रूप से हिस्सेदारी करते हुए, महिलाओं ने उम्मीद की थी कि आजादी के साथ उन्हें सदियों पुराने सामंती व लिंग-आधारित उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उनका आगे बढ़ना तो दूर, पूंजीवादी भूस्वामी राज के पांच दशकों में, हर क्षेत्र में पितृसत्ता हावी रही है। महिलाएं -एक औरत, एक मजदूर और एक नागरिक के रूप में, विभिन्न स्तरों पर शोषण की शिकार हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया से, आर्थिक और सामाजिक, दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं के शोषण के नये रूप उभर आए हैं, जिससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ गयी है। आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक व राजनीतिक जीवन में एक स्वतंत्र भूमिका, महिलाओं की उन्नति की बुनियादी शर्तें हैं। समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन और असमान हैसियत के खिलाफ संघर्ष, सामाजिक मुक्ति के आंदोलन के अंग हैं।

5.14 पचास सालों के पूंजीपति-भूस्वामी राज में, राजसत्ता की सभी संस्थाओं का ह्रास हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था, पूंजीवादी विकास के फैलाव को प्रतिबिंबित करने वाली, अतिकेन्द्रीकृत नौकरशाही पर आधारित है, जिसमें सत्ता चोटी पर केंद्रित रहती है और जिसका व्यवहार विशेषाधिकारप्राप्त नौकरशाहों द्वारा किया जाता है, जो जनता से कटे रहते हैं तथा वफादारी से शोषक वर्गों के हितों की सेवा करते हैं। नौकरशाही का जबर्दस्त विस्तार, उसके शासक वर्गों के साथ मजबूत रिश्ते और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार वे कारक हैं, जो समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर बना रहे हैं।

5.15 न्यायपालिका का झुकाव मजदूरों, किसानों और मेहनतकश जनता के खिलाफ है। यद्यपि अमीर और गरीब, दोनों ही औपचारिक रूप से सिद्धांत में समान हैं, लेकिन न्याय प्रणाली, सारत: शोषक वर्गों के हितों को साधती है और उनके वर्ग शासन को औचित्य प्रदान करती है। यहां तक कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव के पूंजीवादी-जनवादी सिद्धांत का भी पूरी तरह पालन नहीं होता है और न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण व प्रभाव के आधीन रहना पड़ता है। संविधान के अंतर्गत जनवादी सिद्धांतों और बुनियादी अधिकारों को



जायज ठहराने वाले न्यायिक निर्णयों के साथ भी, शासक वर्ग भीतरघात करते हैं। न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली किसी प्रभावी व्यवस्था के अभाव में, न्यायपालिका के कुछ हिस्सों में भी कुछ भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने की खबरें हैं, जिससे कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास कमजोर होता है।

5.16 स्वतंत्र भारत के सैन्य बल के ढांचे पर, अब भी औपनिवेशिक विरासत की छाप लगी हुई है। हालांकि, सैन्य बल से देश की सरहदों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जब शासक वर्गों के अपने वर्गीय हित, शोषित जनता के हितों के साथ खुलकर टकराव में आते हैं, तो वे सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते जाते हैं। सशस्त्र बलों के सिपाही, किसानों तथा मेहनतकश जनता में से आते हैं और उन्हें कठिन जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। शासक वर्ग, इन बलों की निचली कतारों को, जनता से अलग-थलग और जनवादी अधिकारों से वंचित रखता है। पुलिस बलों का इस्तेमाल, लोकप्रिय आंदोलनों के खिलाफ दमन के औजार के रूप में होता है। वे राजनीतिक तिकड़मबाजी और भ्रष्टाचार के शिकार बन गये हैं तथा अनेक जगहों पर, गरीबों के खिलाफ शोषक तंत्र के हिस्से हैं।

5.17 पूरे देश के स्तर पर पूंजीपति वर्ग और उसके भूस्वामी सहयोगी, उन मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्गों के मुकाबले छोटी सी अल्पसंख्या बनाते हैं, जिन पर वे राज करते हैं और जिनका वे भूमि, पूंजी और उत्पादन के तमाम साधनों पर अपनी मिल्कियत के बल पर शोषण करते हैं। पूंजीवादी राजसत्ता और इसकी सरकारें, लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली में बहुमत से चुने जाने के बावजूद, राजनीतिक व आर्थिक सार में इस अल्पमत की सत्ता का ही प्रतिनिधित्व करती हैं।

5.18 भारतीय गणतंत्र के संविधान में, वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित संसद का प्रावधान है और जनता को कुछ बुनियादी अधिकार दिये गये हैं। सत्ताधारियों द्वारा इनमें से अनेक अधिकारों के साथ तोड़-मरोड़ की जाती है, अर्थ का अनर्थ किया जाता है और उनका उल्लंघन तक किया जाता है। जब मजदूरों, किसानों और जनवादी अवाम के संघर्षों का मामला आता है, तो उनके लिए बुनियादी अधिकार वास्तव में समाप्त से हो जाते हैं। पूरे-पूरे इलाकों और क्षेत्रों को, जहां लाखों लोग रहते हैं, निषेधाज्ञा आदेश लागू कर, महीनों और वर्षों तक इकट्ठा होने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। मजदूर, किसान और दूसरे जनवादी आवाम, जब अपने राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा और मांगों के लिए कार्रवाई करते हैं, तो

शासनतंत्र की हिंसा व्यवहारत: बर्बर हो उठती है। बिना मुकद्मे नजरबंद रखने के निष्ठुर कानून तो काफी आम हो गये हैं। इसी तरह, जनवादी संघर्षों को कुचलने के लिए, संविधान में रखे गये राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है और अध्यादेश जारी किए जाते हैं। सन् 1975 में लागू किया गया आंतरिक आपातकाल, लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती थी.

5.19 जनवादी आंदोलन के दबाव में सरकार, पंचायती व स्थानीय निकायों के पक्ष में प्रशासन के विकेंद्रीकरण के कुछ कदमों के लिए कानून बनाने के लिए मजबूर हुई है। पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा की वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण और तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली को अधिकार सौंपने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन वामपंथी नेतृत्व वाले राज्यों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं का इस्तेमाल, लोकतंत्र के विस्तार के लिए न करके, ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामियों-साहूकारों और ठेकेदारों की सत्ता को बनाये रखने के लिए किया जा रहा है।

5.20 दशकों के पूंजीवादी-भूस्वामी शासन ने, भारतीय जनता के सांस्कृतिक विकास को कुंठित किया है। परंपरा तथा धर्म के नाम पर ऐसी घातक प्रथाओं तथा मूल्यों को बनाए रखा जा रहा है, जो महिलाओं तथा उत्पीड़ित जातियों के लिए अवमाननापूर्ण हैं। संस्कृति में जो कुछ भी स्वस्थ तथा प्रगतिशील है, उसे सांप्रदायिक विचारधाराएं बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। पूंजीवादी संस्कृति में पोंगापंथी व जातिवादी मूल्यों का काफी हिस्सा बना हुआ है। शासन द्वारा साक्षरता तक के प्रति निर्मम उदासीनता का प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर जनता के सांस्कृतिक कल्याण की व्यवस्था करने की तो बात ही क्या है? शोषक वर्ग तथा साम्राज्यवादी एजेंसियों द्वारा, जिनका प्रिंट व इलेक्ट्रानिक सूचना माध्यमों, रेडियो और टेलीविजनों पर प्रभुत्व है, प्रचार, इकट्ठा होने और प्रैस की स्वतंत्रता का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मेहनतकश जनता उनके विराट संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सकती और इस तरह, वह औपचारिक रूप से सभी को दिए गए अधिकारों के इस्तेमाल में असमर्थ बना दी जाती है।

5.21 पूंजीवादी-भूस्वामी राजसत्ता के उपकरणों का यह पतन, भ्रष्टाचार के जबर्दस्त फैलाव और काले धन में बेतहाशा बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में हुआ है, जो पूरे समाज में फैल गया है। उदारीकरण की प्रक्रिया ने, उच्च पदों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग, उच्चपदस्थ नौकरशाह और



पूंजीवादी राजनीतिज्ञ, उस भ्रष्ट गठजोड़ के हिस्से हैं, जो कानूनों में भीतरघात करता है और सार्वजनिक धन की लूट को सुगम बना रहा है। इसने लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों का मजाक बना कर रख दिया है। चुनावों में धन शक्ति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, राजनीति का अपराधीकरण, मतदान केन्द्रों पर कब्जे व फर्जी वोटिंग, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए गंभीर खतरे हैं।

5.22 फिर भी जनता सार्वजनिक वयस्क मताधिकार और संसद व राज्य विधायिकाओं को, लोकतंत्र के लिए अपने संघर्ष में, अपने हितों की रक्षा के लिए, हथियारों की तरह इस्तेमाल कर सकती है। संसदीय जनतंत्र पर जब भी हमले हुए हैं, जैसे कि अंदरूनी आपातकाल में, जनता ने ऐसे तानाशाहीपूर्ण कदमों का विरोध किया है। पूंजीपति वर्ग के वर्गीय शासन का ही एक रूप होते हुए भी, भारत की वर्तमान संसदीय प्रणाली, जनता के हित में एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। इससे जनता को अपने हितों की रक्षा करने, एक हद तक शासन के मामलों में हस्तक्षेप करने और जनवाद और सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने हेतु लामबंदी करने की, कुछ गुंजाइशें मिलती हैं।

5.23 संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र को खतरा, मेहनतकश जनता और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दलों से नहीं है। खतरा शोषक वर्गों से ही पैदा होता है। वही हैं जो संसदीय प्रणाली को भीतर और बाहर से कमजोर कर, उसे अपने संकीर्ण हितों की हिफाजत का औजार बना देते हैं। जब जनता अपने हितों के लिए संसदीय संस्थाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और वह बड़े पूंजीवादी व भूस्वामी वर्गों के प्रभाव से निकलने लगती है तो ये वर्ग, संसदीय लोकतंत्र को पैरों तले कुचल डालने में भी नहीं हिचकते हैं, जैसा कि केन्द्र द्वारा कितनी ही बार राज्यों की निर्वाचित सरकारों की बर्खास्तगी के जरिये किया गया है। एक समय में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अर्धफासी आतंक तथा इन राज्यों के मामले में सब संवैधानिक प्रावधानों का नंगा उल्लंघन, इसके स्पष्ट उदाहरण हैं, जो यह दिखाते हैं कि शासक वर्ग, दुष्टता की किस हद तक जा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने और संसदीय लोकतंत्र को काटने-छांटने की बातें, अधिनायकवादी लक्षण हैं और ये लक्षण उदारीकरण के निजाम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दबाव के साथ, बढ़ गए हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसे खतरों के खिलाफ, जनता के हित में, संसदीय व लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की जाए और इतर-संसदीय गतिविधियों के साथ जोड़कर, इन संस्थाओं का कुशलता से इस्तेमाल किया जाए।

# [ छः ]

# जनता का जनवाद और उसका कार्यक्रम

6.1 अनुभव दिखाता है कि मौजूदा पूंजीवादी-भूस्वामी राज के रहते पिछड़ेपन, गरीबी, भूख, बेरोजगारी और शोषण से जनता की मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं है। आजादी मिलने के समय से ही बड़ा पूंजीपति वर्ग लगातार राजसत्ता में है और एक ओर आम जनता की कीमत पर तथा दूसरी ओर साम्राज्यवाद तथा भूस्वामी वर्ग से सौदेबाजी या समझौते के जरिये, अपनी वर्ग स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु, राजसत्ता का इस्तेमाल करता आ रहा है। विकसित पूंजीवादी देशों के विपरीत, जहां उभरते हुए पूंजीवाद द्वारा ध्वस्त कर दिए गए पूर्व-पूंजीवादी समाज की खाक पर पूंजीवाद का विकास हुआ था, भारत में पूंजीवाद को पूर्व-पूंजीवादी समाज के ऊपर थोप दिया गया है। न तो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने अपने शासन के दौर में और न ही सत्ता संभालने के बाद भारतीय पूंजीवादी वर्ग ने उसे ध्वस्त किया, जबकि यह पूंजीवाद के मुक्त विकास के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पूर्व-शर्त थी। इसीलिए, मौजूदा भारतीय समाज, इजारेदार पूंजीवादी प्रभुत्व के साथ-साथ जाति, संप्रदाय और कबीलाई संस्थाओं का एक विचित्र संयोजन बना हुआ है। इस प्रकार, यह जिम्मेदारी मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी पर आ जाती है कि पूर्व-पूंजीवादी समाज को नष्ट करने में दिलचस्पी रखने वाली, सभी ताकतों को एकजुट करें और उनके बीच क्रांतिकारी ताकतों को मजबूत बनायें ताकि जनवादी क्रांति का संपन्न होना सुगम हो तथा समाजवाद की ओर संक्रमण का रास्ता तैयार हो।

6.2 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवाद और साम्यवाद के निर्माण के अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ है। जाहिर है कि इन लक्ष्यों को मौजूदा राजसत्ता और बड़े पूंजीवादी वर्ग के नेतृत्व में पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार के रहते हुए, हासिल नहीं किया जा सकता है। सच्चा समाजवादी समाज, केवल सर्वहारा राज में ही स्थापित किया जा सकता है। अपने देश में समाजवाद के निर्माण के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) देश के आर्थिक विकास के स्तर, मजदूर वर्ग की राजनीतिक - वैचारिक परिपक्वता की स्थिति और उसके संगठन की दशा पर विचार कर, जनता के सामने फौरी लक्ष्य के तौर पर



जनता के जनवाद की स्थापना का लक्ष्य रखती है, जो मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, मजबूत मजदूर-किसान मैत्री के आधार पर, तमाम सच्ची सामंतवादविरोधी, इजारेदारविरोधी, तथा साम्राज्यवादविरोधी ताकतों के गठबंधन पर आधारित होगा। इसके लिए सबसे पहले तथा सबसे बढ़कर जरूरी यह है कि मौजूदा पूंजीवादी-भूस्वामी राज की जगह पर, जनता के जनवादी राज की स्थापना की जाए। केवल इसी तरह, भारतीय क्रांति के अधूरे जनवादी कार्यभार पूरे हो सकते हैं और देश को समाजवाद की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

जनता की जनवादी सरकार जिन कार्यक्रमों और कार्यभारों पर अमल करेगी वे इस प्रकार हैं:

6.3 राज्य की संरचना के क्षेत्र में : भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), देश में बसने वाली विभिन्न जातीयताओं की स्वायत्तता और वास्तविक समानता के आधार पर, भारतीय संघ की एकता की हिफाजत करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए और राज्य की ऐसी संघात्मक जनवादी संरचना के विकास के लिए कार्यरत है, जिसकी रूपरेखा नीचे दी गई है:

1. जनता प्रभुसत्ता संपन्न है। राजसत्ता के सभी अंग, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। राज्य की सर्वोच्च सत्ता जन-प्रतिनिधियों के हाथ में होगी, जो वयस्क मताधिकार और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर चुने जाएंगे और जिन्हें निर्वाचकों द्वारा वापस बुलाया जा सकेगा। अखिल भारतीय केन्द्र के स्तर पर दो सदन होंगे-लोकसभा अैर राज्यसभा। महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

2. भारतीय संघ में सभी प्रदेशों को, वास्तविक स्वायत्तता तथा समान अधिकार प्राप्त होंगे। जनजातीय क्षेत्रों को अथवा उन अंचलों को, जिनकी आबादी का एक विशिष्ट उपजातीय संयोजन है और जिनकी अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, संबंधित प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जायेगी तथा विकास के लिए पूरी मदद मुहैया करायी जाएगी।

3. प्रदेशों के स्तर पर उच्च सदन नहीं होंगे। न ही प्रदेशों में ऊपर से राज्यपाल नियुक्त किए जायेंगे। सभी प्रशासनिक सेवायें संबधित प्रदेशों अथवा स्थानीय सत्ताओं के सीधे नियंत्रण में होंगी। प्रदेश, सभी भारतीय नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा जाति, लिंग, क्षेत्र, संप्रदाय तथा जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

4. संसद और केन्द्रीय प्रशासन में, सभी राष्ट्रीय भाषाओं की समानता को मान्यता दी जाएगी। संसद सदस्यों को अपनी जातीय भाषा में बोलने का अधिकार होगा तथा अन्य भाषाओं में साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था होगी। सभी कानून, सरकारी आदेश और प्रस्ताव, सभी भाषाओं में उपलब्ध कराये जायेंगे। दूसरी सभी भाषाओं को छोड़कर, एकमात्र सरकारी भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग, अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। सभी भाषाओं को समानता प्रदान करके ही, इसे पूरे देश में संपर्क की भाषा के रूप में स्वीकार्य बनाया जा सकता है। तब तक, हिंदी और अंग्रेजी के इस्तेमाल की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। शिक्षण संस्थाओं में, उच्चतम स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का जनता का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। हरेक भाषायी प्रदेश की अपनी भाषा का, तमाम सार्वजनिक व राजकीय संस्थाओं में उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। अल्पसंख्यक समूह या अल्पसंख्यक समूहों की या जहां जरूरी हो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा को, प्रदेश में अतिरिक्त भाषा का दर्जा देने की व्यवस्था होगी। उर्दू भाषा और इसकी लिपि को संरक्षण दिया जायेगा।

5. जनता की जनवादी सरकार आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में, संघटक प्रदेशों के बीच तथा विभिन्न प्रदेशों की जनता के बीच, पारस्परिक सहयोग को पोषित कर और बढ़ावा देकर, भारत की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठायेगी। जातीयताओं, भाषाओं और संस्कृतियों की विविधताओं का आदर किया जायेगा और विविधता में एकता की नीतियां लागू की जायेंगी। वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर प्रदेशों, अंचलों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी तथा उन्हें वित्तीय व अन्य सहायता देगी ताकि अपना पिछड़ापन तेजी से दूर करने में,उन्हें मदद मिल सके।

6. जनता का जनवादी राज्य स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में, सबसे नीचे गांवों से लेकर ऊपर तक ऐसे स्थानीय निकायों का व्यापक नेटवर्क खड़ा करेगा, जिनका सीधे जनता द्वारा चुनाव होगा और जिनके हाथ में पर्याप्त सत्ता व जिम्मेदारियां होंगी और जिन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जायेंगे। स्थानीय निकायों के सक्रिय काम-काज में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे।

7. जनता का जनवादी राज्य, सभी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में जनवाद की भावना भरने का प्रयास करेगा। वह राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं पर



नियंत्रण और पहल के जनवादी स्वरूपों का विस्तार करेगा। इसमें राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियनें, किसान और खेतिहर मजदूरों के संगठन तथा मेहनतकश जनता के अन्य वर्गीय व जन-संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सरकार, देश की विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं के तंत्र को, जनता की जनवादी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठायेगी और राज्य के प्रशासन और काम में जनता और उनके संगठनों की, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगी। वह राज्य और प्रशासन में नौकरशाहाना तौर-तरीकों के खात्मे के लिए काम करेगी।

8. जनता का जनवादी राज्य, काला धन निकाल बाहर करेगा; भष्टाचार का उन्मूलन होगा, जन- सेवकों के भ्रष्ट आचरण के लिए और आर्थिक अपराधों के लिए सजा दिलायी जाएगी।

9. न्यायिक प्रशासन के मामले में भी जनवादी बदलाव लाये जायेंगे। उचित और त्वरित न्याय सुनिश्चित बनाया जायेगा। जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद व सलाह दी जायेगी ताकि सभी को आसानी से कानूनी समाधान उपलब्ध हो।

10. जनता की जनवादी सरकार, सैन्य बलों के सदस्यों में देश-प्रेम, जनवाद और जनसेवा की भावना भरेगी। वह उन्हें बेहतर जीवन स्तर, बेहतर सेवा शर्तें तथा सांस्कृतिक सुविधाएं देगी और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। वह सभी स्वस्थ नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा उसकी रक्षा की भावना से अनुप्राणित होने के लिए, प्रोत्साहित करेगी।

11. पूर्ण नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी होगी। व्यक्तियों और उनके प्रवास की अनुल्लंघनीयता; बिना मुकदमे नजरबंद न करने; अंतश्चेतना, धार्मिक आस्था व उपासना, भाषण, प्रेस, सभा करने, हड़ताल करने तथा राजनीतिक पार्टियां व संगठन बनाने का अधिकार; आवागमन और पेशे की स्वतंत्रता; असहमति का अधिकार ; सुनिश्चित किया जायेगा।

12. हर नागरिक के लिए बुनियादी अधिकार के रूप में, काम के अधिकार की गारंटी होगी। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जातीयता के भेदभाव के बिना, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किए जायेंगे। वेतन और आमदनी में भारी विषमताओं को, कदम- दर-कदम कम किया जायेगा।

13. जाति द्वारा जाति के सामाजिक उत्पीड़न का खात्मा होगा और

अस्पृश्यता तथा हर किस्म का सामाजिक भेदभाव, कानूनी तौर पर दंडनीय होगा। सेवाओं और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के मामले में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

14. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव व सामाजिक असमानता की समाप्ति; भूमि सहित संपत्ति के अधिकार में पुरुषों के साथ समानता; सभी समुदायों में महिलाओं के समान अधिकार पर आधारित सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक संरक्षण के कानूनों को लागू किया जाना; सभी पेशों व सेवाओं में महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों की देखरेख तथा घरेलू काम के लिए उपयुक्त सहायता प्रणालियां, पारिवारिक ढांचे को जनतांत्रिक बनाने के बलाघात का हिस्सा होंगी।

15. राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की गारंटी होगी, राज्य के मामलों में तथा देश के राजनीतिक जीवन में, धार्मिक संस्थाओं का हस्तक्षेप निषिद्ध कर दिया जाएगा। धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और उनके विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई जाएगी।

16. सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाएगा ताकि सभी स्तरों पर चौतरफा व वैज्ञानिक शिक्षा मुहैया करायी जा सके। उच्च शिक्षा तथा पेशा-केंद्रित शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा उन्हें अद्यतन बनाया जाएगा। शोध व विकास संस्थाओं के एक पूरे दायरे के जरिए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, एक चौतरफा खेलकूद नीति अपनायी जाएगी। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा मुफ्त तथा अनिवार्य होगी और शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की गारंटी होगी।

17. बड़े पैमाने पर मुफ्त स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्रसूति सेवाओं के तंत्र की स्थापना की जाएगी; बच्चों के लिए बालवाड़ियों तथा पलनाघरों की व्यवस्था होगी। मेहनतकश जनता के लिए विश्रामगृहों तथा मनोरंजन केन्द्रों और बुजुर्गों के लिए पेंशन की गारंटी होगी। जनता की जनवादी सरकार एक गैर-दमनकारी आबादी नीति को बढ़ावा देगी ताकि स्त्री-पुरुष, दोनों के बीच परिवार नियोजन के लिए जागृति पैदा की जा सके।

18. पर्यावरण के संरक्षण के लिए सर्वांगीण कदम उठाए जाएंगे। विकास कार्यक्रमों में, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। देश की जैव-विविधता और जैविक संसाधनों की, साम्राज्यवादी शोषण से



हिफाजत की जाएगी।

19. विकलांग व्यक्तियों के, एक संपूर्ण नागरिक के रूप में समाज का हिस्सा बनकर जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। सम्मानजनक जीवन जीने के बुजुर्गों के अधिकार की, राज्य द्वारा गंभीरता से देखरेख होगी। कुल मिलाकर, बुनियादी अधिकार समझे जाने वाले तमाम सामाजिक अधिकार, जनता के जनवाद का बुनियादी सिद्धांत बनाते हैं।

20. जनता के जनवादी राज्य और उसकी सरकार द्वारा नयी प्रगतिशील जनसंस्कृति के विकास के लिए,, जो अपने दृष्टिकोण में जनवादी और धर्मनिरपेक्ष हो, रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वह जनता के सांस्कृतिक व भौतिक जीवन को समृद्ध करने वाली कला, संस्कृति और साहित्य को पल्लवित और विकसित करने के लिए, आवश्यक उपाय करेगी। वह जातिगत व लैंगिक पूर्वाग्रहों तथा सांप्रदायिक विद्वेषों और परवशता व अंधविश्वासों के विचारों से छुटकारा पाने में, लोगों की मदद करेगी। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी और जनजातीय आबादी सहित, प्रत्येक भाषायी जातीयता को, समूचे देश के जनवादी आवाम की साझा आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य से, अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और जीवन पद्धति को विकसित करने में मदद करेगी। वह जनगण में अन्य देशों के जनगणों के प्रति भ्रातृत्व की भावना फैलाएगी और नस्ली तथा राष्ट्रीय घृणा के विचारों को छुड़वाएगी।

21. इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लोक प्रसारण प्रणाली पर जोर देते हुए, प्रसार माध्यमों का विकास किया जाएगा। निजी हाथों में प्रसार माध्यमों की परिसंपत्तियों के संकेन्द्रण की और भारतीय सूचना माध्यम परिसंपत्तियों पर विदेशी स्वामित्व की इजाजत नहीं होगी। जनवादी नियंत्रण और जवाबदारी सुनिश्चित की जाएगी।

6.4 <u>कृषि व किसान समस्या के क्षेत्र में:</u> भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जिसके तहत 70 प्रतिशत आबादी, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। परिणामत: कृषि का विकास और किसानों के जीवन स्तर में उन्नति, अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास की कुंजी है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनता की जनवादी सरकार:

1. मूलगामी भूमि सुधार लागू कर और खेतमजदूरों व गरीब किसानों

के बीच मुफ्त जमीन बांटकर, भूस्वामी व्यवस्था का खात्मा करेगी।

2. गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटे दस्तकारों पर चढ़े साहूकारों व भूस्वामियों के कर्जों को रद्द कर देगी।

3. किसानों की, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़े व्यापारियों और कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ावों से हिफाजत के लिए, राज्य के नेतृत्व में एक बाजार प्रणाली विकसित करेगी। किसानों, दस्तकारों और खेतमजदूरों के लिए दीर्घकालिक और सस्ते ऋण तथा कृषि उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी।

4. सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं का अधिकतम विस्तार करते हुए, उनके समुचित तथा समतापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करेगी; कृषि क्षेत्र में देशी शोध व विकास को बढ़ावा देगी; उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल द्वारा कृषि पद्धतियों को सुधारने में किसानों की मदद करेगी।

5. खेतमजदूरों के लिए पर्याप्त मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा उपाय और जीने योग्य स्थितियां, सुनिश्चित करेगी।

6. खेती और अन्य सेवाओं में स्वैच्छिक आधार पर, किसानों और दस्तकारों की सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगी।

6.5 भारत एक विशाल देश है जहां आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर हैं और किस्म-किस्म के सामाजिक आर्थिक पैटर्न हैं। परिणामत: अर्थव्यवस्था के विकास और जनता की जीवन स्थितियों में लगातार सुधार के लिए आवश्यक, उत्पादक शक्तियों के तेजी से विकास के लिए जरूरी है कि जनता की जनवादी सरकार, अर्थव्यवस्था के धुरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वामित्व के जरिए निर्णायक भूमिका अदा करे तथा अन्य क्षेत्रों में राज्य, नियामक और मार्ग दर्शक की भूमिका अदा करे। दुनिया में हुए जबर्दस्त परिवर्तनों के मद्देनजर हमारा देश, बाहर की उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी, अपने स्वावलंबी आधार को दृढ़तापूर्वक मजबूत करेगा।

6.6 <u>उद्योग और श्रम के क्षेत्र में:</u> हमारा उद्योग न केवल किसानों की क्रय शक्ति कम बने रहने का बल्कि इजारेदार घरानों के शिकंजे व विदेशी पूंजी की बढ़ती घुसपैठ और उत्पादन के लगभग सभी क्षेत्रों में साम्राज्यवादी एजेंसियों के प्रभुत्व के विभिन्न रूपों का भी, शिकार है। इजारेदार संस्थानों के हाथों में परिसंपत्तियों के संकेन्द्रण से, आर्थिक विकास विकृत होता है और बड़े पैमाने पर विषमताएं पनपती



हैं। विदेशी पूंजी पर निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के हुक्मनामों से शोषण सुगम होता है और ऐसा विकृत विकास होता है जो जनता की जरूरतें पूरी नहीं करने जा रहा है। इसलिए, उद्योग के क्षेत्र में जनता की जनवादी सरकार:

1. उद्योग, वित्त, व्यापार और सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में, भारतीय व विदेशी, दोनों ही इजारेदारियों का उन्मूलन करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी, जिनमें राज्य द्वारा उनकी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आधुनिकीकरण, जनवादीकरण, भ्रष्टाचार व नौकरशाहाना नियंत्रण से मुक्ति, कड़ी जवाबदारी तय करने तथा प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के जरिए मजबूत करेगी और उन्हें प्रतियोगी बनाएगी ताकि वे अर्थव्यवस्था में प्रधानता की स्थिति ग्रहण कर सकें।

3. उत्पादक क्षमताओं को प्रोन्नत करने तथा उच्च तकनीक हासिल करने के लिए, चुनिंदा क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश की इजाजत देगी। अर्थव्यवस्था के समग्र हित में, वित्तीय पूंजी के प्रवाहों का नियमन करेगी।

4. उचित कीमतों पर कर्ज, कच्चा माल उपलब्ध कराने और बाजार सुविधाओं के मामलों में मदद के जरिए लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता करेगी।

5. देश के संतुलित और योजनाबद्ध आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए, अर्थव्यवस्था और बाजार के विभिन्न क्षेत्रों को नियमित व समन्वित करेगी। विदेश व्यापार का नियमन करेगी।

6. अ- जीवन योग्य वेतन के निर्धारण, ब- काम के घंटों में उत्तरोत्तर कमी, स- बेरोजगारी व हर तरह की विकलांगता के लिए सामाजिक बीमा, द- मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था, इ- गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता और उनके सामूहिक सौदेबाजी तथा इसके साथ ही हड़ताल के अधिकार को मान्यता, और ई- बाल मजदूरी के खात्मे के द्वारा, मजदूरों के जीवन स्तर में मूलगामी सुधार करेगी।

7. मजदूरों, किसानों व दस्तकारों को कराधानों से अधिकतम राहत प्रदान करेगी; कृषि उद्योग और व्यापार में श्रेणीबद्ध करों को लागू करेगी; और कारगर ढंग से आम जनता के हित में जाने वाली एक मूल्य नीति लागू करेगी।

6.7 <u>विदेश नीति के क्षेत्र में:</u> यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व शांति की हिफाजत, साम्राज्यवादी प्रभुत्व के विरोध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जनवादीकरण

में भारत, एक भूमिका अदा करे, जनता की जनवादी सरकार:

1. मित्रता और सहयोग के आधार पर सभी राष्ट्रों से संबंध विकसित करेगी। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के विकासशील देशों के बीच एकजुटता और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाएगी। दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगी और साम्राज्यवादी देशों के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नई जान फूंकेगी।

2. समाजवादी देशों और सभी शांतिप्रिय देशों के साथ, मित्रतापूर्ण संबंध और सहयोग विकसित करेगी; साम्राज्यवाद के खिलाफ, लोकतंत्र और समाजवाद के लिए, सभी संघर्षों का समर्थन करेगी।

3. नाभिकीय युद्ध के खतरे को समाप्त करने के लिए काम करेगी; सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण और नाभिकीय, रासायनिक और जैविक, सभी तरह के जनसंहार के हथियारों की समाप्ति व उनके परीक्षण और विनिर्माण पर रोक के लिए काम करेगी; सभी विदेशी सैनिक अड्डों को खत्म करने की मांग करेगी; पारिस्थितिकीय संतुलन की हिफाजत और पर्यावरण के बचाव के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी।

4. मौजूदा मतभेदों और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और भारत के पड़ोसियों- पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, नेपाल,भूटान, श्रीलंका और बर्मा- के साथ दोस्ताना रिश्तों को मजबूत करने के लिए, विशेष और संगठित प्रयास करेगी। दक्षिण एशियाई सहयोग को बढ़ावा देगी।

## [ सात ]

## जनता के जनवादी मोर्चे का निर्माण

7.1 वर्तमान चरण में भारतीय क्रांति के बुनियादी कार्यभारों को समग्रता में और चौतरफा ढंग से पूरा करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाले मौजूदा पूंजीवादी-भूस्वामी राज की जगह, मजदूर वर्ग के नेतृत्ववाला जनता का जनवादी राज स्थापित किया जाए।



7.2 अपने विकास के वर्तमान चरण में, हमारी क्रांति की प्रकृति सारत: सामंतवादविरोधी, साम्राज्यवादविरोधी, इजारेदारविरोधी और जनवादी है। हमारी क्रांति का चरण ही उसे हासिल करने के संघर्ष में, विभिन्न वर्गों की भूमिका भी निर्धारित करता है। वर्तमान युग में सर्वहारा को, समाजवाद की प्राप्ति की तरफ अपने अभियान के एक आवश्यक कदम के रूप में, जनवादी क्रांति का नेतृत्व करना पड़ेगा। यह पुराने ढंग की पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति नहीं होगी बल्कि मजदूर वर्ग द्वारा नीत और संगठित, एक नये ढंग की जनता की जनवादी क्रांति होगी।

7.3 जनता की जनवादी क्रांति का पहला और सर्वप्रमुख कार्यभार, किसानों के हित में, मूलगामी कृषि सुधारों को लागू करना है ताकि कृषि और इसी के साथ उद्योगों की उत्पादक शक्तियों पर पड़ी सामंती व अर्धसामंती बेड़ियों को, तोड़ फेंका जा सके। इसी के अनुपूरक के रूप में, उस सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक उपाय करने होंगे, जिसके जरिए जाति और ऐसी ही अन्य सामाजिक प्रणालियां जैसे पूर्व-पूंजीवादी समाज के अवशेष, गांवों को युगों पुराने पिछड़ेपन में जकड़े हुए हैं। यह कार्यभार, उस कृषि क्रांति के संपन्न किए जाने से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जो दरअसल जनता की जनवादी क्रांति की धुरी है। दूसरा अत्यावश्यक कार्यभार, साम्राज्यवाद के प्रभाव और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार पूंजी की विभिन्न एजेंसियों के प्रभुत्व से, जनता के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को मुक्त कराना है। इसी के साथ, इजारेदार पूंजी की ताकत को तोड़ने का कार्यभार जुड़ा हुआ है।

7.4 लेकिन आज के संदर्भ में, क्रांति के ये बुनियादी और आधारभूत कार्यभार, बड़े पूंजीपति वर्ग और राजसत्ता के नेतृत्व पर काबिज उसके राजनीतिक प्रतिनिधियों के दृढ़तापूर्ण विरोध और उनके खिलाफ संघर्ष के बिना, पूरे नहीं किए जा सकते हैं। वे अपने वर्ग प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, भूस्वामियों के साथ गठजोड़ किए हुए हैं। वे विदेशी इजारेदार पूंजी की हिफाजत तथा उसकी और अधिक घुसपैठ को आसान बनाने के लिए भी, राजसत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुन:, विदेशी इजारेदारों के साथ सहयोग व समझौते तथा भारत के बड़े भूस्वामियों के साथ गठबंधन की अपनी नीतियों के साथ, वे विकास के उस पूंजीवादी रास्ते पर जोर-शोर से बढ़ रहे हैं जो हमारे देश में, इजारेदार पूंजी की बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी को आसान बना रहा है। परिणामत:, जनता की जनवादी क्रांति, न केवल भूस्वामी व्यवस्था और विदेशी

इजारेदार पूंजीवाद के समझौताहीन विरोध में खड़ी होती है, बल्कि उनके साथ ही वह उस बड़े पूंजीपति वर्ग के भी खिलाफ है,जो राजसत्ता का नेतृत्व कर रहा है और विदेशी वित्तीय पूंजी के साथ समझौते और सहयोग तथा भूस्वामी व्यवस्था के साथ गठबंधन की नीति पर चल रहा है।

7.5 मजदूर वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व के बिना, जनता का जनवादी मोर्चा न तो सफलता के साथ निर्मित हो सकता है और न ही क्रांति को विजय मिल सकती है। ऐतिहासिक रूप से आधुनिक समाज में मजदूर वर्ग के अलावा किसी भी अन्य वर्ग की नियति में इस भूमिका को निभाना नहीं है तथा हमारे दौर का सारा तजुर्बा इसी सच्चाई को अच्छी तरह साबित करता है।

7.6 जनता के जनवादी मोर्चे की धुरी और उसका आधार है, मजदूर वर्ग और किसानों के बीच दृढ़ गठबंधन। यही गठबंधन राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा के लिए, दूरगामी जनवादी रूपांतरणों के निष्पादन के लिए और चौतरफा सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने कि लिए, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। क्रांति को संपन्न करने में अन्य वर्गों की भूमिका, इस मजदूर-किसान गठबंधन की शक्ति और स्थिरता पर, निर्णायक रूप से निर्भर करती है।

7.7 कृषि में पूंजीवाद की गहरे तक घुसपैठ हो जाने से, किसानों के बीच स्पष्ट विभेदीकरण हो गया है और उसके भिन्न-भिन्न तबके क्रांति में भिन्न-भिन्न भूमिकाएं अदा करेंगे। खेतमजदूर और गरीब किसान, जोकि ग्रामीण परिवारों का विशाल बहुमत बनाते हैं, भूस्वामियों और पूंजीपतियों के निर्मम शोषण के शिकार होते हैं तथा वे ही मजदूर वर्ग के बुनियादी सहयोगी वर्ग होंगे। मध्यम किसान भी, ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोर पूंजी, सामंतों व पूंजीवादी भूस्वामियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और बड़े पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित पूंजीवादी बाजार की लूट-पाट के शिकार हैं और ग्रामीण जीवन में भूस्वामी वर्गों का प्रभुत्व उनकी सामाजिक हैसियत को असंख्य रूपों में इस तरह प्रभावित करता है कि वे भी, जनता के जनवादी मोर्चे के भरोसेमंद सहयोगी हो जाते हैं।

7.8 धनी किसान, किसानों का एक प्रभावशाली हिस्सा हैं। पूंजीवादी-भूस्वामी कृषि नीतियों ने बेशक, उनके कुछ हिस्सों को लाभ पहुंचाया है, और आजादी के बाद के निजामों में उन्हें भी फायदा पहुंचा है। अपने फार्मों पर खेतमजदूरों को



मजूरी पर रखने के नाते, वे पूंजीवादी-भूस्वामियों की कतारों में शामिल होने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन, कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव की मार से और बहुराष्ट्रीय निगमों तथा इजारेदार व्यापारियों के शिकंजे में फंसे बाजार में अपनी बर्बादी के कारण, उनका भी पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार से टकराव होता है। अपने ढुलमुल चरित्र के बावजूद, वे भी खास मुकामों पर, जनता के जनवादी मोर्चे में लाए जा सकते हैं और जनता की जनवादी क्रांति में भूमिका अदा कर सकते हैं।

7.9 पूंजीवादी-भूस्वामी राज में, शहरी और ग्रामीण मध्यम वर्ग, दोनों ही बड़ी मुश्किलें झेलते हैं। अपनी काफी संख्या के जरिए सफेदपोश कर्मचारी, शिक्षक, प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर और बुद्धिजीवी वर्ग के नये तबके, एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तबका बनाते हैं। पूंजीवाद के और विकास तथा उदारीकरण की नीतियों के साथ, मध्यवर्ग के बीच विभेदीकरण गहराया है। एक उपरला तबका लाभान्वित हुआ है और वह बाकी मध्यवर्ग जैसा नजरिया अख्तियार नहीं करता है। फिर भी मध्यवर्ग का बड़ा हिस्सा जिंदगी की बुनियादी जरूरत की सभी चीजों की लगातार बढ़ती कीमतों, राज्य द्वारा थोपे जा रहे करों के बढ़ते बोझ, बेरोजगारी की विकट समस्या और बुनियादी जीवन सुविधाओं के अभाव से परेशान रहता है। ये तबके जनता के जनवादी मोर्चे में सहयोगी घटक हो सकते हैं तथा होंगे और उन्हें क्रांति के पक्ष में करने की हर कोशिश करनी चाहिए। जनवादी लक्ष्यों के लिए इस तबके को लामबंद करने में, प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

7.10 एक वर्ग के रूप में भारतीय पूंजीपति वर्ग के, साम्राज्यवाद से और सामंती व अर्धसामंती कृषि व्यवस्था से भी, अपने टकराव और अंतर्विरोध हैं। लेकिन, आजादी मिलने के बाद से इस वर्ग का बड़ा और इजारेदार तबका इन टकरावों और अंतर्विरोधों को समझौते, दबाव और सौदेबाजी के जरिए हल करने के लिए, राजसत्ता पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वह भूस्वामी वर्ग के साथ सत्ता में साझेदारी कर रहा है। वह चरित्र में जनविरोधी और कम्युनिस्टविरोधी है तथा जनता के जनवादी मोर्चे और इसके क्रांतिकारी लक्ष्यों का पक्का विरोधी है।

7.11 गैर-बड़ा पूंजीपति वर्ग, जो गैरइजारेदार है, बड़े पूंजीपति वर्ग और विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ, कई तरह से असमान प्रतियोगिता का सामना करता है। पूंजीवादी संकट और बहुराष्ट्रीय निगमों की बेरोकटोक घुसपैठ से, उसके और विदेशी पूंजी के बीच का अंतर्विरोध गहराएगा। बड़ा पूंजीपति वर्ग, अपनी आर्थिक

शक्ति और राज्य में नेतृत्वकारी भूमिका का इस्तेमाल कर, अपने कमजोर वर्गबिरादरों की कीमत पर, अपना संकट हल करने की कोशिश करता है। ये पूंजीवादी तबके, राजसत्ता के विरोध में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उन्हें जनता के जनवादी मोर्चे में जगह मिल सकती है। परंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि वे, अभी भी बड़े पूंजीपति वर्ग के साथ सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं और उन्हें इसी निजाम में अपने पनपने की बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं। अपनी वस्तुगत रूप से प्रगतिशील भूमिका के बावजूद, बड़े पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवादियों के मुकाबले अपनी कमजोर वर्ग स्थिति के चलते, यह तबका अस्थिर है और एक तरफ बड़े पूंजीपति वर्ग व विदेशी पूंजी और दूसरी तरफ जनता के जनवादी मोर्चे के बीच ढुलमुलपन दिखाता है। अपनी दोगली प्रकृति के कारण, एक अस्थिर सहयोगी घटक के रूप में भी उसका क्रांति में योग देना कई ठोस परिस्थितियों पर निर्भर करता है- वर्ग शक्तियों के संतुलन में बदलाव पर, साम्राज्यवाद- सामंतवाद और जनता के बीच अंतर्विरोध की तीव्रता पर और बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाले राज्य तथा पूंजीपति वर्ग के बाकी हिस्सों के बीच के अंतर्विरोधों की गहराई पर।

7.12 गैर-बड़े पूंजीपतियों की समस्याओं के अध्यवसायी और ठोस अध्ययन के जरिए, उन्हें जनवादी मोर्चे में खींच लाने की, हर तरह की कोशिश की जानी चाहिए। भारतीय इजारेदारों और उनके विदेशी साम्राज्यावादी प्रतियोगियों के खिलाफ, उनके सभी संघर्षों में मदद देने का कोई भी मौका, मजदूर वर्ग को चूकना नहीं चाहिए।

7.13 जनता की जनवादी क्रांति को कामयाब करने के लिए, जनता के जनवादी मोर्चे के निर्माण के बुनियादी लक्ष्य को और इस तथ्य को, कि बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में कायम राज्य के साथ उनका टकराव अपरिहार्य है, एक पल के लिए भी भूले बगैर, मजदूर वर्ग और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), उन अंतर्विरोधों और टकरावों पर गौर करती है जो बड़े पूंजीपति वर्ग समेत, भारतीय पूंजीपति वर्ग तथा साम्राज्यवादियों के बीच मौजूद हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों तथा विदेशी वित्तीय पूंजी के बेरोकटोक और मुक्त प्रवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने से, यह अंतर्विरोध और गहरा होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), इस परिघटना का सावधानी से अध्ययन करते हुए, ऐसे हर मतभेद, दरार, टकराव और अंतर्विरोध का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी ताकि साम्राज्यवादियों को अलग-थलग किया जा सके और जनवादी विकास के लिए जनसंघर्षों को मजबूत बनाया जा



सके। विश्व शांति और साम्राज्यवादविरोध के सभी मुद्दों पर, जोकि राष्ट्र के वास्तविक हित में हैं, साम्राज्यवाद से टकराव के सभी आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर और स्वतंत्र विदेश नीति व देश की संप्रभुता को मजबूत करने से जुड़े सभी प्रश्नों पर, मजदूर वर्ग, सरकार को अपना अविचल समर्थन देने में नहीं हिचकेगा।

7.14 आजादी के बाद भी प्रतिक्रियावादी और प्रतिक्रांतिकारी प्रवृत्तियां मौजूद रही हैं। वे सामंती विचारधारा के जबर्दस्त असर पर आधारित, जनता के पिछड़ेपन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हाल के दशकों में, कांग्रेस के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष, जिससे उसका लगातार पतन होता गया, का लाभ उठाकर, ये ताकतें कांग्रेस द्वारा खाली की गयी जगह को भरने की गंभीर कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिक्रियावादी पार्टी है, जिसका ऐसा फूटपरस्त और सांप्रदायिक मंच है जिसकी प्रतिक्रियावादी अंतर्वस्तु अन्य धर्मों के प्रति घृणा, असहिष्णुता और अंधराष्ट्रवादी उन्माद पर आधारित है। भाजपा, कोई सामान्य पूंजीवादी पार्टी नहीं है क्योंकि फासीवादी सोच वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस पर हावी है और उसका मार्ग दर्शन करता है। भाजपा के सत्ता में रहने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहुंच, सरकारी मशीनरी और राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों तक हो गई है। हिंदुत्व की विचारधारा पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देती है तथा एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर, भारत की मिली-जुली संस्कृति को ठुकराती है। ऐसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण का प्रसार, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के विकास की ओर ले जाता है। हमारी राजनीति के धर्मनिरपेक्ष आधार के लिए इसके गंभीर नतीजे निकलते हैं और इससे वामपंथी जनवादी आंदोलन को गंभीर खतरा पैदा होता है। बड़े व्यवसायियों और भूस्वामियों के बड़े हिस्सों के अलावा, अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद द्वारा भाजपा को, पूरा-पूरा समर्थन दिया जा रहा है।

7.15 इन सभी कारकों को आधार बनाते हुए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), देश की सभी देशभक्त ताकतों के साथ यानी उन सभी के साथ एकताबद्ध होने का लक्ष्य अपने सामने रखती है जिनकी दिलचस्पी पूर्व-पूंजीवादी समाज के समस्त अवशेषों का सफाया करने में; सर्वांगीण रूप में तथा किसानों के हित में कृषि क्रांति संपन्न करने में; विदेशी पूंजी की बेरोकटोक घुसपैठ का विरोध करने में; और भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन तथा संस्कृति के मूलगामी पुनर्निर्माण के रास्ते की सभी बाधायें हटाने में है।

7.16 मजदूर-किसान गठबंधन को धुरी बनाकर, सभी देशभक्त और जनवादी

शक्तियों की क्रांतिकारी एकता के जरिये, जनता की जनवादी क्रांति के लक्ष्यों को हासिल करने का संघर्ष, एक जटिल और दीर्घकालिक संघर्ष है। इसे बदलते दौरों में, बदलते हालात में चलाना होगा। विभिन्न वर्गों द्वारा, इन वर्गों के भीतर के विभिन्न संस्तरों द्वारा, क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के इन अलग-अलग दौरों में, भिन्न-भिन्न रुख अख्तियार किया जाना लाजमी है। एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी ही, जो जनांदोलनों को विकसित करे और रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संयुक्त मोर्चे की उपयुक्त कार्यनीति अपनाये, इन मोड़ों का इस्तेमाल कर सकती है और इन तबकों को अपनी कतारों में खींच सकती है। एक ऐसी पार्टी ही जो अपनी कतारों में सबसे ईमानदार तथा सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले क्रांतिकारियों को समेटे हुए हो, अवाम को उन अनेक मोड़ों तथा घुमावों के बीच नेतृत्व प्रदान कर पाएगी, जिनका क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान आना लाजमी है।

7.17 जाहिर है कि तेजी से बदलते राजनीतिक हालात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्टी को, विभिन्न अंतरिम नारे तय करने होंगे। वर्तमान शासक वर्गों को सत्ता से हटाने और मजदूर वर्ग तथा किसानों के दृढ़ गठबंधन पर आधारित, एक नये जनवादी राज्य और सरकार को कायम करने के कार्यभार को जनता के सामने रखते हुए भी पार्टी, जनता को फौरी राहत देने वाले न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा करने के लिए और वर्तमान सीमाओं में रहते हुए वैकल्पिक नीतियां उभारने तथा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध सरकारों की स्थापना के, सामने आने वाले अवसरों का उपयोग करेगी। ऐसी सरकारों का गठन मेहनतकश जनता के क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगा और इस प्रकार जनता का जनवादी मोर्चा बनाने की प्रक्रिया में मददगार होगा। लेकिन, इससे राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं, किसी भी बुनियादी रूप में हल नहीं होंगी। अत: पार्टी, बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में चलने वाले वर्तमान पूंजीवादी-भूस्वामी राज्य और सरकार को प्रतिस्थापित करने की जरूरत पर, आम जनता को लगातार शिक्षित करती रहेगी तथा इसके साथ ही ठोस परिस्थिति के हिसाब से राज्यों में या केंद्र में, ऐसी सरकारें बनाने के अवसरों का उपयोग करेगी और इस तरह जनांदोलनों को मजबूत बनायेगी।

7.18 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), शांतिपूर्ण साधनों से जनता के जनवाद की स्थापना और समाजवादी रूपांतरण के लिए प्रयासरत है। मजदूर वर्ग और उसके सहयोगी, एक शक्तिशाली जन-क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के जरिए, संघर्ष के संसदीय व इतर-संसदीय रूपों को मिलाकर चलाने के जरिये, प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतिरोध पर काबू पाने और शांतिपूर्ण साधनों से इन



रूपांतरणों को लाने का भरसक प्रयास करेंगे। फिर भी, हमेशा यह याद रखने की जरूरत है कि शासक वर्ग, स्वेच्छा से कभी अपनी सत्ता नहीं छोड़ते। वे जनता की इच्छा की अवज्ञा करने की और अराजकता तथा हिंसा के जरिये उसे पलटने की कोशिश करते हैं। इसलिए, क्रांतिकारी शक्तियों का चौकस रहना और अपने काम को इस तरह ढालना जरूरी है ताकि वे देश के राजनीतिक जीवन में, किसी भी मोड़ और घुमाव का, सभी आकस्मिकताओं का सामना कर सकें।

## [ आठ ]

## कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण

8.1 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जनता के जनवाद की स्थापना के लिए अपना क्रांतिकारी कार्यक्रम, भारत के आवाम के सामने पेश करती है। जनता की जनवादी क्रांति, समाजवाद और एक शोषणविहीन समाज की तरफ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारतीय जनता की मुक्ति के लिए इस क्रांति की अगुआई, किसानों के साथ गठबंधन बनाते हुए मजदूर वर्ग करेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मजदूर वर्ग का अगुआ दस्ता होने के नाते कम्युनिस्ट पार्टी को साम्राज्यवाद, इजारेदार पूंजीवाद और भूस्वामी व्यवस्था के खिलाफ जुझारू संघर्षों का नेतृत्व करना है। देश में व्याप्त परिस्थितियों में, मार्क्सवाद - लेनिनवाद के सिद्धांतों को, ठोस ढंग से लागू करते हुए पार्टी को - राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक-सभी मोर्चों पर दीर्घकालिक संघर्ष चलाने होंगे, जब तक कि जीत नहीं हो जाती है।

8.2 समाजवाद को लगे धक्कों के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व में, साम्राज्यवाद द्वारा चलाये गए भीषण कम्युनिस्टविरोधी अभियान के दौर में, विचारधारात्मक संघर्ष को तीव्र करना, कम्युनिस्टों का अत्यावश्यक कार्यभार है। कम्युनिज्मविरोध को, जोकि शासक वर्गों का मुख्य वैचारिक हथियार है, कम्युनिस्ट बेनकाब करते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। जनता को सामंती और पूंजीवादी विचारधाराओं के प्रभाव से मुक्त करने के लिए और उसकी राजनीतिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए, इन विचारधाराओं के खिलाफ; साम्राज्यवाद द्वारा ठेले जा रहे

भूमंडलीकरण, उदारीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के पैरोकारों के प्रचार का मुकाबला करने के लिए; कम्युनिस्ट सतत संघर्ष चलाते हैं।

8.3 धार्मिक तत्ववाद, रूढ़िवाद, साम्प्रदायिकता और जातिवाद, अवाम को बांटते हैं और उनकी जनवादी चेतना को कुंद बनाते हैं। पूंजीवादी राष्ट्रवाद और अंधराष्ट्रवाद के साथ ही, वे उन प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा शोषित किए जाते हैं, जिन्हें जनवादी आंदोलन के विकास को छिन्न-भिन्न कर देने के लिए, साम्राज्यवाद की मदद हासिल है।

8.4 यह जरूरी है कि एक जन-क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण किया जाए, सभी मोर्चों पर संघर्ष चलाया जाए और क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी जाए। ऐसी पार्टी को, जनांदोलनों के विकास के जरिए जनता में अपने आधार का लगातार विस्तार करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने राजनीतिक तथा वैचारिक प्रभाव को सुदृढ़ करना चाहिए। इसके लिए, जनवादी केन्द्रीयता पर आधारित एक मजबूत, अनुशासित पार्टी की जरूरत होती है। मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के सभी तबकों के प्रति अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, पार्टी को लगातार खुद को शिक्षित और पुनर्शिक्षित करना चाहिए, अपना वैचारिक-सैद्धांतिक स्तर नवीकृत करना चाहिए और अपनी सांगठनिक शक्ति बढ़ानी चाहिए।

8.5 जनता की जनवादी सरकार की स्थापना, इन कार्यभारों के सफलता के साथ पूरे किए जाने और जनता के जनवादी राज्य में मजदूर वर्ग के नेतृत्व से यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय क्रांति, जनवादी चरण पर ही नहीं ठहर जाएगी बल्कि उत्पादक शक्तियों के विकास के जरिये, समाजवादी रूपांतरण लाने के चरण में प्रवेश कर जायेगी।

8.6 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जनता के सामने अपना यह कार्यक्रम पेश करती है तथा आज के मुख्य आवश्यक कार्यभारों को तय करती है ताकि हमारी जनता के सामने, जनवादी राष्ट्रीय उन्नति के लिए, अपने संघर्ष के लक्ष्यों की साफ तस्वीर हो। हमारी पार्टी मेहनतकश आवाम का, मजदूर वर्ग, किसान, महिला, छात्र, युवा तथा बुद्धिजीवी और सच्चे जनवादी विकास और समृद्ध जीवन की रचना में दिलचस्पी रखने वाले मध्यम वर्गीय तबकों का आह्वान करती है कि इन कार्यभारों को पूरा करने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, जनता के जनवादी मोर्चे में एकजुट हो जाएं।

8.7 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), हमारे अवाम की संग्रामी परम्पराओं



को और उस सब को जो हमारी संस्कृति और सभ्यता में उत्कृष्ट व मूल्यवान है, आगे बढ़ाती है। सी पी आई (एम), देशभक्ति का सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद के साथ योग स्थापित करती है। अपनी सभी गतिविधियों और संघर्षों में पार्टी, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के वैज्ञानिक दर्शन और सिद्धांतों से निर्देशित होती है, जो पूर्ण मुक्ति का सही मार्ग दिखाने वाले अकेले दर्शन और सिद्धांत हैं। पार्टी, मेहनतकश जनता के सबसे आगे बढ़े हुए, सबसे सक्रिय और सबसे निस्वार्थ बेटों-बेटियों को, अपनी कतारों में एकजुट करती है और उन्हें दृढ़ मार्क्सवादी-लेनिनवादियों व सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवादियों के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्न करती है। पार्टी, जनवादी मार्ग पर विकास के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, एक शक्तिशाली, जनता के जनवादी मोर्चे के निर्माण के महान कार्यभार को पूरा करने के संघर्ष में, सभी देशभक्त और जनवादी ताकतों को एकजुट करने के काम में, अपनी समूची ऊर्जा और संसाधन लगाती है।

8.8 अमरीका की अगुआई में साम्राज्यवाद, विश्व प्रभुत्व की कोशिशों में लगा है। भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और यहां तक कि संप्रभुता भी खतरे में है। ऐसे हालात में, सभी साम्राज्यवादविरोधी और प्रगतिशील शक्तियों को इकट्ठा कर, इस हमले का दोटूक ढंग से और बेधड़क होकर मुकाबला करना, मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी का प्रमुख कार्यभार बन जाता है। हम अपनी क्रांतिकारी जिम्मेदारी तभी पूरी कर सकते हैं जब हम सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद पर कायम रहें, दुनिया भर की कम्युनिस्ट शक्तियों के बीच उद्देश्य और कार्रवाई की एकता कामय करें तथा क्रांतिकारी संघर्षों का नेतृत्व करने व समाजवाद का निर्माण करने में, कम्युनिस्ट आंदोलन के अनुभवों से उचित सबक लें और समाजवाद को लगे धक्कों के कारणों का विश्लेषण करें। सी पी आई (एम), दक्षिणपंथी संशोधनवाद और वामपंथी संकीर्णतावादी भटकावों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का प्रण करती है। वह जनता के जनवादी मोर्चे के निर्माण के लिए, वर्ग संतुलन बदलने हेतु, संघर्षों में भारतीय जनता को लामबंद करने के काम को आगे बढ़ायेगी।

8.9 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को दृढ़ विश्वास है कि मजदूर वर्ग और उसके क्रांतिकारी अगुआ दस्ते के नेतृत्व में और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षाओं के मार्ग दर्शन में हमारे देश के आवाम, इस कार्यक्रम को हासिल करेंगे। हमारी पार्टी को दृढ़ विश्वास है कि हमारा देश भारत भी एक विजयी, जनता के जनवाद के रूप में उभरकर सामने आयेगा और समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।

□□